भाग–I

(अ)

न्यायालय: विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण
(अपर सेशन न्यायाधीश), सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान

पीठासीन न्यायाधीश – अनामिका सारण, UID - RJ00700
(आरजेएस–जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः	07.03.2026
सेशन प्रकरण संख्या	33/2022
सी.आई.एस. नं.	33/2022
सी.एन.आर. नं.	आरजेडीएस 180008582022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	52/2020
पुलिस थाना	सिकन्दरा जिला दौसा राजस्थान
अपराध अंतर्गत धारा	8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 व 3/25 आयुध अधिनियम 1959
अभियोजन/परिवादी	राजस्थान राज्य
अभियोजन / परिवादी की ओर से उपस्थित	श्री अमरनाथ शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	खुशीराम पुत्र रामकिशन आयु 33 वर्ष निवासी माधोगढ पुलिस थाना मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान
अभियुक्त की ओर से उपस्थित	श्री अनिल पोसवाल विद्वान अधिवक्ता

(ब)

अपराध की दिनांक	10.02.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	10.02.2020
आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनांक	02.11.2022
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	19.04.2023
अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने की दिनांक	05.01.2026
परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता की दिनांक	17.01.2026

साक्ष्य सफाई पूर्ण होने की दिनांक	पेश नहीं की गई
बहस अंतिम सुने जाने की दिनांक	19.02.2026
निर्णय के लिए नियत दिनांक	27.02.2026
निर्णय की दिनांक	07.03.2026
दण्डादेश की दिनांक, यदि कोई हो	––

(स) अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1	खुशीराम	10.02.2020	06.03.2020	धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 व 3/25 आयुध अधिनियम 1959	दोषमुक्त	–	–

भाग–।।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

(अ) अभियोजन –

साक्षी का क्रम (पी.डब्ल्यू.)	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1	दिलीप सिंह, कानि.	चक्षुदर्शी, विभिन्न फर्दात
2	बनवारीलाल	अनुसंधान अधिकारी
3	सज्जनसिंह, कानि.	चक्षुदर्शी, विभिन्न फर्दात
4	रामदयाल, कानि.	जब्तशुदा देशी कटटा को निरीक्षण हेतु ले जाने
5	जवाहरलाल शर्मा	अल्टो गाडी बेचने बाबत
6	कमलसिंह, कानि.	चक्षुदर्शी, विभिन्न फर्दात
7	सुरज्ञानसिंह, कानि.	चक्षुदर्शी, विभिन्न फर्दात
8	ईश्वरसिंह, कानि.	चक्षुदर्शी, विभिन्न फर्दात
9	सुरेशचंद, कानि.	चक्षुदर्शी, विभिन्न फर्दात
10	पन्नालाल, कानि.	चक्षुदर्शी
11	उम्मेदसिंह, कानि.	आरमोरर
12	दयालसिंह	अल्टो गाडी बेचने बाबत
13	गिरेन्द्र कटारा	अल्टो गाडी बेचने बाबत
14	मुकेश कुमार कानि.	एफएसएल में माल जमा कराने
15	विनेष, कानि.	मालखाना इंचार्ज
16	मनीष शर्मा	अभियोजन स्वीकृति
17	सिब्बाराम	अल्टो गाडी बेचने बाबत

18	रेशमा जानवानी	इन्वेन्ट्री कार्यवाही कर्ता
19	हिम्मत चारण, सी.ओ.	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्राप्तकर्ता

(ब) प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो –

साक्षी का क्रम (डी.डब्ल्यू.)	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	–

(स) न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो –

साक्षी का क्रम (सी.डब्ल्यू.)	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

(अ) अभियोजन –

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या (प्रदर्श पी)	विवरण
1	1	फर्द सहमति गवाह दिलीप सिंह
2	2	फर्द सहमति पत्र बाबत तलाशी खुशीराम
3	3	नोटिस अंतर्गत धारा 50 एनडीपीएस एक्ट खुशीराम
4	4	फर्द जामा तलाशी गवाहान व थानाधिकारी
5	5	नोटिस अंतर्गत धारा 52 एनडीपीएस एक्ट खुशीराम
6	6	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी खुशीराम
7	7	फर्द जब्ती अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त अजकब्जा खुशीराम
8	8	फर्द जब्ती एक देशी कटटा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस अजकब्जा खुशीराम
9	9	फर्द जब्ती इलैक्ट्रॉनिक कांटा अजकब्जा खुशीराम
10	10	फर्द जब्ती एक कार अल्टो नं. आरजे 29 सीए 7289 अजकब्जा खुशीराम
11	11	फर्द नमूना शील
12	12	फर्द नष्टीकरण नमूना शील
13	13	फर्द निरीक्षण एवं घटनास्थल
14	14	चार्जशीट
15	15 ए से 15 सी	फर्द इत्तला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
16	16	प्राप्ति रसीद एफएसएल
17	17	एफएसएल रिपोर्ट
18	18	आरमोर रिपोर्ट
19	19	अभियोजन स्वीकृति

20	20	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट वास्ते जवाहरलाल
21	21	आपराधिक रिकार्ड चाहने की तहरीर
22	22	फर्द सहमति गवाह सज्जनसिंह
23	23	मालखाना रजिस्टर की सत्यप्रति
24	24	इन्वेन्ट्री कार्यवाही
25	25	इन्वेन्ट्री कार्यवाही फोटो
26	26	इन्वेन्ट्री कार्यवाही फोटो
27	27	इन्वेन्ट्री कार्यवाही फोटो
28	28	इन्वेन्ट्री कार्यवाही फोटो
29	29	इन्वेन्ट्री कार्यवाही फोटो
30	30	इन्वेन्ट्री कार्यवाही हेतु जारी पत्र
31	31	इन्वेन्ट्री कार्यवाही की आदेशिका
32	32	सूचना अंतर्गत धारा 57 एनडीपीएस एक्ट

(ब) प्रतिरक्षा, यदि कोई हो –

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या (प्रदर्श डी)	विवरण
–	–	–

(स) न्यायालय, यदि कोई हो –

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या (प्रदर्श सी)	विवरण
–	–	–

(द) भौतिक वस्तु, यदि कोई हो –

क्र.सं.	भौतिक वस्तु संख्या (आर्टिकल नं.)	विवरण
–	–	–

1– **न्यायालय में प्रकरण पेश –**

यह आरोप पत्र थानाधिकारी, पुलिस थाना सिकन्दरा जिला दौसा की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2020, पुलिस थाना सिकन्दरा जिला दौसा में बाद अनुसंधान इस न्यायालय में दिनांकः 02.11.2022 को अभियुक्त खुशीराम के विरूद्ध अपराध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 व 3/25 आयुध अधिनियम 1959 के आरोप में प्रस्तुत किये जाने पर

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया है।

2– **घटना की उत्पत्ति –**

अभियोजन प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांकः 10.02.2020 को परिवादी राजपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना सिकन्दरा ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना सिकन्दरा पर इस आशय की दर्ज की कि आज मन थानाधिकारी राजपाल सिंह पुलिस निरीक्षक मय कानि ईश्वर 373, कानि दिलीप 804, कानि सज्जन 519, कानि पन्नालाल 1151, सुरेश 1213, कानि कमल सिह 310, कानि सुरज्ञान 458 मय प्राईवेट वाहन मय अनुसंधान बॉक्स व लेपटॉप व प्रिन्टर के बहवाले रोजनामचा आम का रवाना शुदा मय गिरफतार शुदा मुलजिम खुशीराम गुर्जर व जब्त शुदा अवैध मादक पदार्थ गाजा आर्टिकल मार्का ए.बी.सी.डी.ई. जब्त शुदा वाहन नम्बर आरजे 02 सीए 7289 मय जब्त शुदा इलक्ट्रोनिक कांटा के हाजिर थाना आया। दर्ज रहे कि मुताबिक ईतला मुखबीर खास के मन थानाधिकारी मय हमराहीयान मय अनुसंधान बॉक्स मय लैपटाप मय प्रिन्टर के थाने से समय 4.15 पीएम पर रवाना होकर ईत्तला की विश्वसनीयता को देखते हुए मन थानाधिकारी समस्त जाप्ते को उक्त ईत्तला की जानकारी देते हुये मेगा हाईवे 25 थाने के सामने सिकन्दरा से अलवर को जाने वाले रोड पर सतर्कता से समय 4.20 पीएम पर नाकाबंदी भी की गई, जाप्ते के द्वारा सजगता से वाहन पर निगरानी रखी गई, समय करीब 450 पीएम पर मुखबीर खास के द्वारा बताये गये हुलिये की गाडी अल्टो कार नम्बर आरजे 02 सीए 7289 अलवर की और से आती हुई दिखाई दी, जिसको मन थानाधिकारी द्वारा हाथ का ईशारा देकर रोकना चाहा तो बावर्दी पुलिस को देखकर नाकाबंदी तोडकर भागने की कोशिश करने लगा जिस पर मन थानाधिकारी व समस्त जाप्ता द्वारा उक्त वाहन को बामुश्किल रोका जाकर मुख्य सडक से सड़क के किनारे पर वाहन कार अल्टो नम्बर आरजे 02 सीए 7289 को खडा कर वाहन संख्या आरजे 02 सीए 7289 में बैठे व्यक्ति को हमराही जाप्ता की मदद से सावधानीपूर्वक पकडकर नाम पता पूछा तो अपना नाम खुशीराम पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी माधोगढ़ थाना मालाखेडा जिला अलवर का होना बताया। शक्स खुशीराम को गाडी से नीचे उतार कर चैक किया तो खुशीराम

के पेन्ट की आंट मे कमर की बायी तरफ एक हस्तनिर्मित देशी कटटा 315 बोर मिला जिसमे लोहे (स्टीलपॉलिस) की नाल व लकडी का बट लगा हुआ है जिसकी चट सहित कुल लम्बाई 11 इच जिसमे नाल की लम्बाई 5 इंच व बट की लम्बाई 6 जिस पर कोई कम्पनी का लेबल नही लगा हुआ है, देशी कट्टा 315 बोर को खोल कर चेक गया तो देशी कट्टे के चैम्बर में एक जिंदा कारतूस लोड मिला, देशी कट्टा 315 बोर को किया जाकर अनलोड किया गया, उक्त शक्स से हस्तनिर्मित देशी कट्टे को लाने ले जाने का व अपने पास रखने के बारे में लाईसेन्स / वैध अनुज्ञा पत्र बाबत पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स / वैध अनुज्ञा–पत्र नहीं होना बताया, उक्त शक्स के पास मिले एक हस्तनिर्मित देशीकटटा को प्लास्टीक के सफेद पारदर्शी डिब्बे में रखा जाकर शील्ड मोहर कर मार्का अंकित किया गया तथा उनत 315 बोर के कुल 01 जिंदा कारतूसो का निरीक्षण किया गया तो कारतूश के पैन्दे पर अंग्रेजी में बीएमएम व के एफ लिखा हुआ है तथा राउण्ड की लम्बाई करीब 3 इंच है जिनको एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखा जाकर शील्ड मोहर कर मार्का B अंकित किया जाकर मौके पर ही जरिये फर्द बतौर बजह सबूत देशी कट्टा हस्तनिर्मित व 1 जिन्दा कारतूश जप्त कर कब्जा पुलिस / लिया गया। उक्त शक्स का यह कृत्य धारा 3/25 ARMS ACT की नोवियत में आना पाया व शक्स खुशीराम की डिटेनशुदा गाडी अल्टो कार आरजे 02 सीए 7289 के बारे मे शक्स खुशीराम से पूछा तो शक्स खुशीराम गुर्जर ने वाहन संख्या आरजे 02 सीए 7289 को स्वयं की होना बताया, जिसकी तलाशी मन थानाधिकारी राजपाल सिह पुलिस निरीक्षक मय जाप्ते के द्वारा ली गई तथा गाडी की डिग्गी को खोलकर देखा तो डिग्गी में एक काले रंग का बोरा रखा नजर आया, जिसके सबंध मे जानकारी चाही तो कोई सन्तुष्ट पूर्ण जवाब नही दिया तथा शक्स खुशीराम के घबराहट से पसीना आने लग गये डिटेन शुदा व्यक्ति खशीराम के इस प्रकार के सहार संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, जिससे उक्त काले रंग बोरे के संबध मे पुनः पूछा तो शक्स स ने बताया कि इसमे अवैध डोडा चूरा है, डिटेन शुदा वाहन अल्टो कार नम्बर आरजे 02 सीए 7289 की तलाशी लेने हेतु स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु समय 05.10 पीएम पर कानि. पन्नालाल उपस्थित आया तथा बताया कि आदेश की पालना मैने आस–पास स्वतन्त्र गवाह 1151 को हुक्मनामा देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया जो समय 05.25 पीएम वापस उक्त

कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र गवाह बनने को तैयार नही हुआ है, हक्मनामा लिखित में पेश तलाश किये गये लेकिन पुलिस तथा कोर्ट की कानूनी पेचिदगीयों से बचते हये कोई व्यक्ति किया, हुक्मनामा शामिल कागजात किया गया। उक्त कार्यवाही हेतु कोर्ड स्वतन्त्र गवाह नही मिलने के कारण समय 05.30 पीएम पर हमराही जाप्ता मे मौजद कानि सज्जन नम्बर 519 व कानि दिलीप 804 को उक्त कार्यवाही हेतु गवाह बनने बाबत लिखित मे सहमति प्राप्त करने हेतु मामूर गवाहान/फर्द सहमति गवाहान नोटिस दिया जाकर उक्त गवाहान से लिखित मे कागजात की गई। समय 05.40 पीएम वाहक नियुक्ति किये गये हैशीराम पुत्र श्री रामकिशन जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी माधोगढ़ थाना मालदा जिला अलवर को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत नोटिस देकर उसके अधिकारो या जिलाया कि आप अपनी कार अल्टो नम्बर आरजे 02 सीए 7289 की तलाशी किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं, जिस पर डिटेन शुदा व्यक्ति खुशीराम गुर्जर ने अपने नोटिस की मूल प्रति प्राप्त कर पहने हुये पेन्टो की जेब में रख ली व दूसरी प्रति पर लिखित में जवाब दिया कि श्रीमानजों में मेरी कार अल्टो की तलाशी किसी अन्य उच्चअधिकारी / राजपत्रित या मजिस्ट्रेट से लिवाने में मुझे कोई लाभ मिलने की सम्भावना नहीं है. आप स्वय थानाधिकारी से कार अल्टो की तलाशी लेने की सहमति देता हूँ, आदि सहमति प्रदान की। उक्त नोटिस को शामिल कागजात किया गया। तत्पश्चात मन थानाधिकारी राजपाल सिह पुलिस निरीक्षक व कानि सज्जन 519 व कानि दिलीप 804 ने अपनी तलाशी डिटेन शुदा व्यक्ति खुशीराम को दी तो अलावा पहने हुये कपडो व दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त अन्य कोई आपति जनक वस्तु नहीं मिली, जिसकी फर्द जामा तलाशी गवाहान व थानाधिकारी मूर्तिब कर शामिल कागजात की गई। स्वयं व गवाहान की तलाशी देने के पश्चात मन थानाधिकारी ने गवाहान सज्जन कानि. नम्बर 519 व दिलीप कानि. नम्बर 804 की मौजूदगी में डिटेन शुदा व्यक्ति खुशीराम को चैक किया तो पहने हुये कपडे पेन्ट की बाये जेब में 4200 रूपये नगद मिले जिन्हे कब्जा पुलिस लिये गये व पहनी हुई पैन्ट की दायनी जेब से नोटिस 50 एनडीपीएस एक्ट की मूल प्रति प्राप्त हुई, जिसे शामिल कागजात किया गया, जिसके पश्चात वाहन की तलाशी ली व काले रंग का प्लास्टिक चैक करने के लिए खोलकर देखा तो डोडा पोस्त का पदार्थ मिला जिसे सुंघा, परखा, चैक किया व

मौत विरान को चैक करवाया तो मादक पदार्थ डोडा पोस्त होना पाया गया व डिटेन किये हुये व्यक्ति खुशीराम ने भी डोडा पोस्त होना बताया। खुशीराम से उक्त मादक पदार्थ डोडा पोस्त अपने कब्जे मे रखने बावत लाईसैन्स मागा तो अपने पास कोई वैध लाईसेन्स होना नहीं बताया। इस प्रकार खुशीराम द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त अपने कब्जे में रखना धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट तहत दण्डनीय अपराध होने पर खुशीराम के पास मिली अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त हमराह लाये गये। अनुसंधान बॉक्स में रखे इक्लोक्ट्रोनिक काटे से तोल किया तो प्लास्टिक के बोरे सहित कुल वजन 13 किलो 700 ग्राम, तथा डोडा पोस्त का शुद्ध वजन 13 किलो 500 ग्राम होना पाया गया। उक्त डोडा पोस्त में से 250–250 ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल लिये जाकर पृथक–पृथक प्लास्टिक की पन्नी मे रखकर एक सफेद कपडे की छोटी–छोटी थैलियो मे रखकर पृथक–पृथक शील मोहर कर क्रमश मार्का C, D दिया गया। शेष बचे अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त कुल वजन 13 किलो को उसी काले रंग के बोरे में रखकर शील मोहर कर मार्का E अकित किया गया मौके पर फर्द नमूना शील मूर्तिब कर शामिल कागजात किये गये। मार्का C, D व E को मौके पर जरिये फर्द बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। वाहन की डिग्गी के अन्दर रखे छोटा इलक्ट्रोनिक कांटा/तोल करने की मशीन मिली, जिसे प्रकरण हाजा मे बतौर वजह तबूत जरिये फर्द जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त को परिवहन करने में काम में लिया गया वाहन अल्टो कार नम्बर आरजे 02 सीए 7289 को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जब्त किया जाकर कब्जा पुलिस ली गई। जब्तशुदा आर्टिकल मार्का A, B, C, D व E को शील्ड मौहर करने के काम में ली गई शील को मौके पर तोडकर चारो दिशाओ में फैक कर नष्ट की गई व फर्द नष्टीकरण शील मोहर कर मूर्तिब कर शामिल कागजात की गई। शक्स खुशीराम का यह कृत्य अपराध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट की नौहयत को पहुंचने पर जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर प्रिन्टर व इलैक्ट्रानिक कांटा को चलाने हेतू प्राईवेट गाडी की बैट्री का उपयोग किया गया, मौके से बाद कार्यवाही मन थानाधिकारी मय हमराहीयान जाप्ता मय अनुसंधान बॉक्स / उपकरण मय जप्त शुदा आर्टिकल मार्का A, B, C, D, E

तथा गिरफतार शुदा मुलजिम खुशीराम व जब्त शुदा वाहन गाडी अल्टा कार नम्बर आरजे 02 सीए 7289 सहित रवाना होकर उपस्थित थाना आया। जब्तशुदा आर्टिकल मार्का A, B, C, D, E को मालखाना एचएम बाबूलाल नम्बर 55 की उपस्थित में पुन शील कर तौल किया गया। जामा तलाशी में मिले बिक्री/अन्य कुल 700/– रुपये को जमा मालखाना करवाये गये। मुलजिम को बाद जामा तलाश बंद हवालात कर मौजूदा संतरी को लाया गया, इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सिकन्दरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 50/2020, धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 व 3/25 आयुध अधिनियम 1959 में दर्ज कर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त खुशीराम के विरूद्ध अपराध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 व 3/25 आयुध अधिनियम 1959 के आरोप में उपरोक्तानुसार आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– **आरोप –**

बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 व 3/25 आयुध अधिनियम 1959 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया तो उसने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4– **अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य –**

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड. 1 लगायत पी.ड. 19 को परीक्षित करवाया गया है।

5– **अभियोजन पक्ष की दस्तावेजी साक्ष्य –**

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 32 को प्रदर्शित करवाया गया है।

6– **बयान मुलजिम –**

अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा तथा कथन किया कि पुलिस के द्वारा मुझसे कोई मादक पदार्थ व कटटा बरामद नहीं किया। राजपाल अधिकारी द्वारा पूर्व मेरे गांव के थाने पर

पदस्थापित था। वह अकबरपुर के पदस्थापित होने के दौरान मेरे रंजिश रखता था। इसलिए मेरे खिलाफ झूठी कार्यवाही की थी। मैं निर्दोष हूं। मुझे झूठा फसाया गया है।

7– **नोट– सुविधा की दृष्टि से ''स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985'' को इस निर्णय में आगे ''अधिनियम'' के रूप में सम्बोधित किया जाएगा।**

8– बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9– **विद्वान अपर लोक अभियोजक के तर्क–**

दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है।

10– **विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्क –**

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का अपनी मोखिक बहस में यह कहना है कि अभियुक्त निर्दोष है व उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त का उक्त मादक पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है प्रकरण में एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधान धारा 42, 50, 52 ए, 55, आदि की पूर्णतया अवहेलना की गई है। प्रकरण में मौंके पर किसी भी मजिस्ट्रेट को धारा 52 ए की कार्यवाही के लिए नहीं बुलाया है, जो भी प्रकरण को काल्पनिक व संदेहास्पद बनाता है। प्रकरण में परीक्षित गवाहान की साक्ष्य में गभ्भीर विरोधाभास है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। अतः निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया है:–

1– नदीम अहमद बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एससी क्रिमीनल अपी नं. 9446–47/2025

2– डोनियर विल्डनोव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एससी एसएलपी 9460/2025 30 जनवरी 2026

3– सूरेपल्ली श्रीनिवास बनाम आंध्रप्रदेश राज्य एसएलपी नं. 14265/2024, 25 मार्च 2025

4– महाराष्ट्र राज्य बनाम सुभई नरहरी व अन्य क्रिमीनल अपील नं. 1154/2004, 19 दिसम्बर 2022 बोम्बे हाई कोर्ट

5– बूटा सिंह बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 2021 सुप्रीम कोर्ट 1913, 16 अप्रेल 2021

6– तूफानसिंह बनाम तमिलनाडू राज्य 29 अक्टूबर 2020 एआईआर 2020 सुप्रीम कोर्ट 5592

7– सहदेव विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य 2020(1) सीआर.एल.आर (राज.) 141

8– यूसूफ उर्फ असिफ बनाम स्टेट 13 अक्टूबर 2023 एससी 2023 आईएनएससी 912

9– अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य 17 दिसम्बर 2024 एससी 2024 आईएनएससी 994

10– विजय सिंह चांदूभा जडेजा बनाम स्टेट आफ गुजरात 29 अक्टूबर 2010 एआईआर 2011 सुप्रीम कोर्ट 77

11– नबी आलम उर्फ अब्बास बनाम स्टेट आफ एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली 06.07.2021 बेल एप्लीकेशन नं. 2641/2018

12– अरिफ खान उर्फ अघा खान बनाम उत्तराखण्ड राज्य 27 अप्रैल 2018 एआईआर 2018 सुप्रीम कोर्ट 2123

13– बूटा सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य 16 अप्रैल 2021, 2021 एससीसी आनलाईन एससी 324

14– करनेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 29 जुलाई 2009 एससी क्रिमीनल अपीलनं. 606/2004

15– यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम लीन मार्टिन व अन्य एससी क्रिमीनल अपील नं. 2150/2011, 1 फरवरी 2018

16– राजस्थान राज्य बनाम परमानंद व अन्य 28 फरवरी 2014, एआईआर 2014 सुप्रीम कोर्ट 1384

17– कमाल खान बनाम राजस्थान राज्य 2018(1) सीआर.एल.आर. (राज.)453

18– पंजाब राज्य बनाम धर्मिन्दर सिंह व अन्य, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ सीआरए–48–डीबीए–2004, 24.03.2025

19– बाबूलाल मालव बनाम राजस्थान राज्य 2017(3)सीआर.एल.आर. (राज.)1262

20– राजस्थान राज्य बनाम धर्मा राम विश्नोई 2016(4) सीआर.एल.आर. (राज.) 1902

11– उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

12– **विचारणीय बिन्दू –**

न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि –

''आया अभियुक्त खुशीराम के संचेतन आधिपत्य से दिनांकः 10.02.2020 को समय करीब 6.20 पी.एम. पर मौजा एनएच 25, थाने के सामने, सिकन्दरा पर वाहन संख्या आरजे 02 सीए 7289 की डिग्गी में रखे प्लास्टिक बोरा में अवैध मादक पदार्थ कुल 13.500 किलोग्राम डोडा पोस्त को बरामद किया, जिसको अभियुक्त के पास रखने का वैद्य अनुज्ञापत्र नही था और अभियुक्त के संचेतन आधिपत्य से एक देशी कट्टा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जिनको रखने के संबंध में अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र अथवा लाईसेंस नहीं था? यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड के दण्डनीय हैं?

13– **अभियोजन पक्ष के गवाहों के कथन –**

प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध है, उसका यदि हम विवेचन करें तो उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 साक्षियों को पेश कर परीक्षित कराया गया है। जिनमें गवाह पी.ड. 1 दिलीप सिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 10.02.2020 को मैं पुलिस थाना सिकन्दरा पर कानि. के पद पर तैनात था। दिनांक 10.02.2020 को समय शाम के 4.15 पीएम पर थानाधिकारी राजपाल यादव के साथ मैं व कानि. ईश्वर 373, पन्नालाल 1151,

सज्जन सिंह 519, सुरेश 1213, कमल सिंह 310, सुरज्ञान 458 थाना सिकन्दरा के आगे नाकाबंदी कर रहे थे। तब अलवर की तरफ से एक अल्टो कार नम्बर आरजे 02, सीए 7289 आती हुई दिखाई दी, जिसे इंचार्ज साहब द्वारा हाथ का इशारा देकर रोकना चाहा, तो वो नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। तब सभी मुलाजमानों के द्वारा उक्त वाहन को बमुश्किल रोककर वाहन में बैठे व्यक्ति को सावधानीपूर्वक पकड़कर नाम–पता पूछा तो अपना नाम खुशीराम गुर्जर निवासी माधोगढ होना बताया, जिसे इंचार्ज साहब द्वारा चेक किया गया तो खुशीराम की पेंट की आंट में कमर की बायी तरफ एक 315 बोर का देशी कट्टा मिला। जिसको खोलकर चेक किया गया तो उसमें एक जिंदा कारतूस लोड मिला, जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा उक्त देशी कट्टे को अपने पास रखने के बारे में कोई वैध अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र या लाईसेंस होना नहीं बताया। जिस पर उक्त कट्टा व कारतूस को जब्त कर मार्का ए व बी अंकित किया गया। उक्त अल्टो गाडी की डिग्गी को इंचार्ज साहब द्वारा खोलकर देखा गया तो एक काले रंग का बोरा रखा नजर आया, जिसके संबंध में उक्त शख्स से जानकारी चाही तो कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया एवं उक्त काले बोरे के संबंध में पुनः पूछा तो खुशीराम ने बताया कि उसमें डोडा व चूडा है। उक्त वाहन की तलाशी लाने हेतु स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कानि. पन्नालाल 1151 को समय 5.10 पीएम पर हुक्मनामा देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया तो समय 5.25 पीएम पर आकर बताया कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं है। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा मौजूद जाप्ते में से मुझ कानि. सज्जन 519 से गवाह बनने हेतु लिखित में सहमति ली गई। उक्त शख्स खुशीराम को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस देकर उक्त अल्टो कार की तलाशी ली गई तो काले रंग का प्लास्टिक का बोरा मिला, जिसे चेक करने के लिए खोला गया तो डोडा जैसा पदार्थ मिला। जिससे उक्त शख्स खुशीराम से उक्त मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखने बाबत् लाईसेंस मांगा तो अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया। जिसे इलेक्ट्रिक कांटे से तोल किया तो प्लास्टिक बोरे सहित कुल वजन तेरह किलो सात सौ ग्राम व शुद्ध वजन पांच सौ ग्राम होना बताया। उक्त डोडा पोस्ट में से ढाई सौ–ढाई सौ ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कंट्रोल सेम्पल लिये जाकर पृथक–पृथक प्लास्टिक की पन्नी में रखकर एक सफेद कपड़े की छोटी–छोटी थैलियों में

रखकर पृथक–पृथक सीलमोहर कर मार्का सी व डी अंकित किया गया, शेष बचे अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट कुल वजन तेरह किलो को उसी प्लास्टिक के बोरे में रखकर मार्का ई अंकित किया गया। डिग्गी के अंदर एक इलेक्ट्रिक कांटा रखा हुआ मिला, जिसे भी जब्त किया गया एवं अल्टो गाडी आरजे 02 सीए 7289 को भी जब्त किया गया। शील्डमोहर करने के काम में ली गई सील को तोड़कर नष्ट किया गया। फर्द सहमति गवाहन प्रदर्शपी 1 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा फर्द सहमति पत्र बाबत् तलाशी मुलजिम खुशीराम प्रदर्शपी 2 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे सामने थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा मुलजिम खुशीराम को नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट दिया था, जो प्रदर्शपी 3 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम द्वारा ली गई मेरी जामा तलाशी की फर्द प्रदर्शपी 4 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा मुलजिम को दिया गया धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 5 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे सामने मुलजिम खुशीराम को थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी 6 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट जो थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा मेरे समक्ष जब्त किया गया था, प्रदर्शपी 7 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती देशी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस थानाधिकारी श्री राजपाल के द्वारा मुलजिम से मेरे सामने जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्शपी 8 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे सामने थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा एक इलेक्ट्रिक कांटा जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्शपी 9 है, जिस पर भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती एक कार अल्टो नम्बर आरजे 02 सीए 7289 जो थानाधिकारी श्री राजपाल के द्वारा मुलजिम के कब्जे से मेरे समक्ष जब्त की थी, जो प्रदर्शपी 10 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द नमूना शील प्रदर्शपी 11 है, जिस पर भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्शपी 12 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। आईओ बनवारीलाल द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका मेरे सामने बनाया था, जो प्रदर्शपी 13 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुश्त पर हालात मौका अंकित है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि इंचार्ज साहब को इस बात की गोपनीय सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति मादक पदार्थ व

अवैध हथियार लेकर हमारे इलाके की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना से इंचार्ज साहब ने मुझे व मौजूदा जाप्ता को अवगत करा दिया था। मुझे इस बात की जानकारी नही है कि मुखबीर की इत्तला में गाडी का नम्बर व मुलजिमान का हुलिया थानाधिकारी को प्राप्त हो गया हो। यह बात सही है कि जो मुखबीर द्वारा जो सूचना मिली थी, उसको मेरे सामने लिखित में थानाधिकारी द्वारा पुलिस थाना व उच्चाधिकारियों को उक्त सूचना से अवगत नहीं करवाया था। अल्टो कार सिकन्दरा टोल प्लाजा से होकर आई थी। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि सिकन्दरा टोल प्लाजा पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हो। सिकन्दरा टोल से उक्त वाहन कितने बजे निकला यह मेरी जानकारी में नहीं है। हमारे सिकन्दरा थाने के सामने रोड को कवर करते हुये कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुये है। हम सभी के पास मोबाईल थे और उक्त मोबाईलों से हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उक्त घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं बनाई। थानाधिकारी व अन्य लोगों ने बनाई हो तो वह मेरी जानकारी में नहीं है। यह बात सही है कि हमने गाडी रोकते ही गाडी व गाडी में रखे हुये डोडा पोस्ट के कट्टे व हथियार को गाडी को रोकते ही थानाधिकारी व हमराही जाप्ता द्वारा उक्त सामान को हमने हमारी कस्टडी में ले लिया था। यह सही है कि पत्रावली में प्रदर्शपी 1 लगायत 12 की कार्यवाही मुलजिमान को कस्टडी में लेने के बाद में की गई है। उक्त कट्टे को अनलोड इंचार्ज साहब द्वारा किया गया था, जिसकी अलग से कोई फर्द की कार्यवाही की गई हो तो वह मेरी जानकारी में नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्षपी 8 की कार्यवाही करते हुये थानाधिकारी द्वारा अलग से घटनास्थल का कोई नक्शा मौका नहीं बनाया गया था। स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए जो नोटिस पन्नालाल को जारी किया गया था, उसमें स्वतंत्र गवाह बनने से किसने इंकार किया, उनके नाम व पते मेरे सामने नहीं बताये। यह सही है कि मैं थानाधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी हूं। मेरे सामने थानाधिकारी की तलाशी मुलजिम खुशीराम द्वारा ली गई थी। थानाधिकारी तलाशी में उनके पास दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओ के अतिरिक्त उसकी जेब से कोई सामान नहीं मिला। यह बात सही है कि दैनिक उपयोग में आने वाली चीजो का अंकन प्रदर्शपी 4 में नहीं है। यह घटना सार्वजनिक निर्माण विभाग के सामने की ऑफिस की है और वहां पर एक चाय की थडी भी है। यह बात सही है कि चाय की थडी पर लोग बैठे रहते है। यह बात सही है कि उक्त चाय की थडी चलाने वाला

मालिक व वहां पर बैठने वाले लोगों में से किसी को भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। यह प्रदर्शपी 3 वहीं नोटिस है, जो मुलजिमान की जेब से मिला था। प्रदर्शपी 3 वहीं नोटिस है, जिसको मेरे सामने थानाधिकारी द्वारा मुलजिमान को दिया गया था। यह बात सही है कि मुलजिमान खुशीराम द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से तलाशी नहीं लिये जाने का अंकन प्रदर्शपी 3 में नहीं है। प्रदर्शपी 3 वहीं नोटिस है, जो उसकी जेब से मिला था। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस प्लेन है, वह कहीं से फोल्ड हुआ नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्शपी 3 वह नोटिस नहीं हो जो मुलजिम के जेब से मिला हो। यह कहना सही है कि उक्त नोटिस हस्तलिखित नहीं है, कम्प्यूटर से लिखा हुआ है। प्रदर्शपी 3 में अलग से यह नोटिस अंकित नहीं है कि उक्त नोटिस की तलाशी राजपाल यादव द्वारा ली गई हो। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 में मुलजिमान द्वारा दिये गये नोटिस का कोई जवाब नहीं है। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस की कार्यवाही में केम्प घटनास्थल अंकित नहीं है। यह सही है कि प्रदर्शपी 4 की कार्यवाही 5.50 पीएम पर की गई है और प्रदर्शपी 3 की कार्यवाही 5.40 पीएम पर की गई है। यह सही है कि प्रदर्शपी 4 की कार्यवाही नोटिस प्राप्त होने के बाद में की गई है, जो प्रदर्शपी 3 की कार्यवाही के बाद में की गई है। यह बात सही है कि हमने वाहन को रोकते ही मुलजिमान व वाहन की तलाशी कर ली थी और यह भी सही है कि मुलजिम की तलाशी व वाहन को रोककर की गई कार्यवाही के पश्चात ही यह समस्त कार्यवाही की गई है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 7 की कार्यवाही के समय कट्टे की कोई जब्ती की कार्यवाही नहीं की गई। यह बात सही है कि उक्त देषी कट्टा व कारतूस आज मेरे सामने न्यायालय में नहीं है। यह बात सही है कि उस समय अल्टो गाडी का कोई नक्शा मौका परिवादी के सामने नहीं बनाया गया था। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 13 नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन बनाया गया था। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 13 मौके पर सील तोड़कर फेंकना बताया था, वह प्रदर्शपी 13 में अंकित नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 13 में अल्टो गाडी का कोई निशानात नहीं है। यह बात सही है प्रदर्शपी 13 की समस्त कार्यवाही के समय वहां कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। यह सही है कि मेरे सामने अलग से कोई सील बनाई गई हो, ऐसी कोई फर्द तैयार नहीं की गई। यह बात सही हे कि ड्राईवर से चाबी लेकर डिग्गी खुलवाई हो, ऐसी कोई फर्द अलग से तैयार नहीं की गई। यह बात

सही है कि मैं राजपाल जी के अधीनस्थ कर्मचारी हूं। यह बात सही है कि धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही से पूर्व किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को मेरे सामने नहीं बुलाया गया और न ही अलग से कोई उसकी फर्द बनाई गई। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 9 में अंकित जो इलेक्ट्रिक कांटा है, वह कौन सी कंपनी का था, इसका अंकन प्रदर्शपी 9 में नहीं है। यह बात सही है कि मुलजिमान के पास मिले 4200 रुपये में कितने रुपये के नोट थे, यह मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि हमने मुलजिम को कपटपूर्ण तरीके से दबाव में डालकर इन कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करवाये हो। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिमान को फंसाने के लिए झूठे बयान दे रहा हूं।

14– पी.ड. 2 बनवारी लाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 11.02.2020 को मै थाना कोलवा पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था उस दिन एफआईआर नंबर 52/2020 दिनांक 10.02.2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आयुध एक्ट की पत्रावली वास्ते अनुसंधान मुझे प्राप्त हुयी। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 14 है। प्रकरण हाजा मे गवाहान राजपाल सिंह थानाधिकारी सिकंदरा कानि. कमलसिंह, कानि. सुरज्ञान सिंह, कानि. पन्नालाल, कानि. ईश्वर सिंह, कानि. दिलिप सिंह, कानि. सुरेश, कानि. सज्जन सिंह व गवाह जवाहरलाल पत्रु गोपीराम जाती ब्राहाम्ण उम्र 47 निवासी ततारपुर जिला अलवर व गवाह दयाल सैनी पुत्र बाबुलाल सैनी निवासी डाक्टर देवयानी के पीछे काला कुंआ बस स्टैण्ड अलवर का थाना अरावली विहार, गवाह सुब्बाराम पुत्र सोहनलाल जाती गुर्जर निवासी मोजड़ीका पोस्टख शयबका जिला अलवर गिरेन्द्र कटारा पुत्र राधारामन जाती ब्राहाम्ण उम्र 32 साल निवासी अलवर जिला अलवर गवाह अनिल कुमार पुत्र नंदकिशोर स्वामी उम्र 24 साल निवासी अजीतगढ जिला सीकर, गवाह मुकेश कुमार पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 34 साल निवासी विजयपुरा थाना कोलवा जिला दौसा के बयानात धारा 161 सीआरपीसी मे लिया जाकर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किये गये। इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम खुशीराम पुत्र रामकिशन जाती गुर्जर उम्र 23 साल निवासी माधोगढ थाना मालाखेड़ा जिला अलवर प्रदर्श पी 15 ए, 15 बी, 15 सी है। मै वह स्थान चलकर बता सकता हुॅ। जहां से मैने बाबुलाल शर्मा निवासी अजीतगढ से शाहपुरा से वह माल खरीदकर लाया था। जिस पर ए से बी मेरे

हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम खुशीराम के हस्ताक्षर है व फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम दी गयी। मुलजिम खुशीराम पुत्र रामकिशन जाती गुर्जर उम्र 23 साल निवासी माधोगढ थाना मालाखेड़ा जिला अलवर है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम खुशीराम के हस्ताक्षर है। एफएसएल रसीद प्रदर्श पी 16 है जो प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी व असल एफएसएल नतीजा प्रदर्श पी 17 है जो प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। जब्तसुदा कट्ट देशी 315 बोर का आरमोरर द्वारा निरीक्षण करवाया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी जो प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर तीन नमूला शील अंकित है। दिनांक 27.05.2020 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय दौसा द्वारा प्ररकण हाजा मे जब्त देशी कट्टा के बारे मे आर्म्स एक्ट मे अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसकी प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 19 है। प्रकरण हाजा मे जब्त वाहन आरजे 02 सीए 7289 के मालिक जवाहरलाल पुत्र गोपीराम जाती ब्राहाम्ण उम्र 47 साल निवासी ततारपुर को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 20 है। सी से डी वाहन मालिक का जवाब है तथा ई से एफ वाहन मालिक के हस्ताक्षर है। गिरफतारसुदा मुलजिम के अपराध संबंधि थानाधिकारी को जरिये मेल भेजकर सूचना प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 21 है। प्रकरण मे थानाधिकारी मय जाब्ता रवानगी व वापसी प्राप्त कर शामिल पत्रावली की तथा मुलजिम के मोबाईल नंबर की कॉल डिटेल प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। प्रकरण हाजा मे सभी फर्दात शामिल पत्रावली किये गये। दौराने अनुसंधान मेरे द्वारा दिनांक 11.02.2020 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रूबरू गवाहान के समक्ष नक्शा–मौका कसीद किया गया जिस पर सी से डी मेरे हसताक्षर है। जो हालात पुश्त पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मेरे द्वारा मुलजिम खुशीराम पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी माधोगढ थाना मालाखेडा जिला अलवर के खिलाफ अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट मे अपराध प्रमाणित मानकर चालानी आदेश प्राप्त कर थानाधिकारी सिकंदरा को पत्रावली सुपुर्द की गयी। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस वाहन मालिक को कौनसी तारीख को दिया था आज मुझे पता नहीं है। प्रकरण मे

पुलिस कर्मचारी व अन्य स्वतंत्र गवाह भी है। यह सही है कि स्वतंत्र गवाह बारह के रहने वाले है। धारा 3/25 आयुध एक्ट मुलजिम के पास मे अवैध कट्टा बरामद हुआ था इस संबंध मे आरमोरर सशस्त्रागार दौसा को नोटिस देकर इस संबंध मे जवाब लिया गया था एवं जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन कर पत्र जारी किया जाकर उक्त हथियार के संबंध मे अनुज्ञा पत्र जारी हुआ या नहीं, रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। जिसकी आज मुझे तारीख याद नहीं है। उक्त प्रकरण जब्तसुदा वाहन के संबंध मे मेरे द्वारा आरटीओ को नोटिस नहीं दिया गया। उक्त वाहन के चेचिस नंबर व इंजन नंबर आज मुझे ध्यान नहीं है, केवल वाहन नंबर याद है जो आरजे 02 सीए 7289 है। प्रकरण मे गवाहान के बयान प्रकरण दर्ज होने के दूसरे दिन पत्रावली प्राप्त होने के दूसरे दिन लिये गये थे। जिसकी तारीख आज मुझे ध्यान नहीं है। मेरे द्वारा हथियार को सील खोलकर नहीं देखा गया। यह कहना गलत है कि मुलजिम को प्रकरण मे झूंठा फंसाया गया हो।

15– पी.ड. 3 सज्जन सिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 10.02.2020 को मैं पुलिस थाना सिकन्दरा पर कानि. के पद पर तैनात था। दिनांक 10.02.2020 को समय शाम के 4.15 पीएम पर थानाधिकारी राजपाल यादव के साथ मैं व कानि. ईश्वर 373, पन्नालाल 1151, दिलिप सिंह 804, सुरेश 1213, कमल सिंह 310, सुरज्ञान 458 थाना सिकन्दरा के आगे नाकाबंदी कर रहे थे। तब समय 4.50 पीएम पर अलवर की तरफ से एक अल्टो कार नम्बर आरजे 02, सीए 7289 आती हुई दिखाई दी, जिसे इंचार्ज साहब द्वारा हाथ का इशारा देकर रोकना चाहा, तो वो नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोषिष करने लगा। तब सभी मुलाजमानों के द्वारा उक्त वाहन को बमुश्किल रोककर वाहन में बैठे व्यक्ति को सावधानीपूर्वक पकड़कर नाम–पता पूछा तो अपना नाम खुशीराम पुत्र रामकिशन जाती गुर्जर निवासी माधोगढ होना बताया, जिसे इंचार्ज साहब द्वारा चेक किया गया तो खुशीराम की पेंट की आंट में कमर की बायी तरफ एक 315 बोर का देशी कट्टा मिला। जिसमे लोहे की नाल व लकड़ी का बट लगा हुआ था। जिसको खोलकर चेक किया गया तो उसमें एक जिंदा कारतूस लोड मिला, जिसे खाली करवाकर अनलोड किया गया। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा उक्त देशी कट्टे को अपने पास रखने के बारे में कोई वैध अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र या लाईसेंस होना नहीं बताया।

जिस पर उक्त कट्टा व कारतूस को जब्त कर मार्का ए व बी अंकित किया गया। जिसको जब्त कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। मुलजिम खुशीराम की डिटेलसुदा गाडी अल्टो 02 सीए 7289 के बारे मे पूछा गया तो उक्त वाहन मुलजिम खुशीराम ने अपना स्वयं का होना बताया तथा उक्त अल्टो गाडी की डिग्गी को इंचार्ज साहब द्वारा खोलकर देखा गया तो एक काले रंग का बोरा रखा नजर आया, जिसके संबंध में उक्त शख्स से जानकारी चाही तो कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया एवं उक्त काले बोरे के संबंध में पुनः पूछा तो खुशीराम ने बताया कि उसमें डोडा व चूडा है। उक्त वाहन की तलाशी लाने हेतु स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कानि. पन्नालाल 1151 को समय 5.10 पीएम पर हुक्मनामा देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया तो समय 5.25 पीएम पर आकर बताया कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं है। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा मौजूद जाप्ते में से मुझसे गवाह बनने हेतु लिखित में सहमति ली गई। उक्त शख्स खुशीराम को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस देकर उक्त अल्टो कार की तलाशी ली गई तो काले रंग का प्लास्टिक का बोरा मिला, जिसे चेक करने के लिए खोला गया तो डोडा जैसा पदार्थ मिला। जिससे उक्त शख्स खुशीराम से उक्त मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखने बाबत् लाईसेंस मांगा तो अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया। जिसे इलेक्ट्रिक कांटे से तोल किया तो प्लास्टिक बोरे सहित कुल वजन तेरह किलो सात सौ ग्राम व शुद्ध वजन पांच सौ ग्राम होना बताया। उक्त डोडा पोस्ट में से ढाई सौ–ढाई सौ ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कंट्रोल सेम्पल लिये जाकर पृथक–पृथक प्लास्टिक की पन्नी में रखकर एक सफेद कपड़े की छोटी–छोटी थैलियों में रखकर पृथक–पृथक सीलमोहर कर मार्का सी व डी अंकित किया गया, शेष बचे अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट कुल वजन तेरह किलो को उसी प्लास्टिक के बोरे में रखकर मार्का ई अंकित किया गया। डिग्गी के अंदर एक इलेक्ट्रिक कांटा रखा हुआ मिला, जिसे भी जब्त किया गया एवं अल्टो गाडी आरजे 02 सीए 7289 को भी जब्त किया गया। शील्डमोहर करने के काम में ली गई सील को तोड़कर नष्ट किया गया। फर्द सहमति गवाहन प्रदर्शपी 1 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा मुझे उक्त प्रकरण मे स्वतत्र बनने के लिये सहमति हेतु नोटिस दिया गया जिस पर मेरे द्वारा उक्त प्रकरण मे लिखित स्वतंत्र सहमती दी गयी जो प्रदर्शपी 22 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है

व सी से डी सहमती पत्र है। मेरे सामने मुलजिम खुशीराम को तलाशी हेतु नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे सामने थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा मुलजिम खुशीराम को नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट दिया था, जो प्रदर्शपी 3 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम द्वारा ली गई मेरी जामा तलाशी की फर्द प्रदर्शपी 4 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। धारा मुलजिम को दिया गया धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 5 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे सामने मुलजिम खुशीराम को थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी 6 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट जो थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा मेरे समक्ष जब्त किया गया था, प्रदर्शपी 7 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना शील अंकित है। फर्द जब्ती देशी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस थानाधिकारी श्री राजपाल के द्वारा मुलजिम से मेरे सामने जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्शपी 8 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूनाशील अंकित है। मेरे सामने थानाधिकारी श्री राजपाल द्वारा एक इलेक्ट्रिक कांटा जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्शपी 9 है, जिस पर भी सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती एक कार अल्टो नम्बर आरजे 02 सीए 7289 जो थानाधिकारी श्री राजपाल के द्वारा मुलजिम के कब्जे से मेरे समक्ष जब्त की थी, जो प्रदर्शपी 10 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द नमूना सील प्रदर्शपी 11 है, जिस पर भी सी से डी मेरे हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना शील अंकित है। फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्शपी 12 है, जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। आईओ बनवारीलाल द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका मेरे सामने बनाया था, जो प्रदर्शपी 13 है, जिस पर इ से एफ मेरे हस्ताक्षर है। पुश्त पर हालात मौका अंकित है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि मेरे बयान कौनसी तारीख को लिये गये आज मुझे पता नहीं है, पत्रावली देखकर बता सकता हुॅ। उक्त वाहन के चेचिस नंबर व इंजन नंबर आज मुझे ध्यान नहीं है। वाहन के नंबर आरजे 02 सीए 7289 है। नक्शा–मौका की पुश्त पर क्या लिखा था आज मुझे याद नहीं है पत्रावली देखकर बता सकता हुॅ। यह कहना सही है कि मै जांच अधिकारी के अधिनस्थ कर्मचारी हुॅ। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा

सहमती देने पर मै उक्त प्रकरण मे बतौर साक्षी पेश हुआ था। देशी कट्टे पर अंग्रेजी मे क्या लिखा था आज मुझे पता नहीं है। जो लिख रखा था वह पत्रावली मे अंकित है।

16– पी.ड. 4 रामदयाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 19.03.2020 को कानि. के पद पर पुलिस थाना कोलवा मे पदस्थापित था। उस मुकदमा नंबर 52/2020 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना सिकंदरा मे जब्तशुदा देशी कट्टा मार्का ए 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर मार्का बी जो प्लास्टिक के पादर्शी डिब्बो मे शील्डसुदा हालात मे आईओ श्री बनवारी लाल एसआई पीएस कोलवा लेकर गये थे। जिनकी शील्ड तोड़कर निरीक्षण किया गया था। उक्त अवैध हथियारों का के निरीक्षण रिपोर्ट जिला आरमोरर पुलिस लाईन दौसा के द्वारा मेरे सामने निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी थी जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना शील अंकित है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि अवैध हथियार के निरीक्षण करने के पावर आरमोरर के पद पर स्थापित है उसी को है। मेरे द्वारा अवैध हथियार का कोई निरीक्षण नहीं किया गया। आरमोरर पद के लिये अलग से कोर्स किया जाता है। अवैध हथियार सील मौहरशुदा प्राप्त हुआ था जो कि मालखाना सिकन्दरा थाने से हुआ था। उस अवैध हथियार को मैं थानाधिकारी के साथ आरमोरर के पास पुलिस लाईन दौसा लेकर गया था। यह बात सही है कि मुझे अवैध हथियार निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही मैंने कोई निरीक्षण किया। प्रदर्श पी 18 जो निरीक्षण रिपोर्ट है उस पर हस्ताक्षर इसलिए किये थे क्योंकि वह मेरे सामने निरीक्षण रिपोर्ट बनाई गई थी। मैं तो थानाधिकारी के आदेश से उनके साथ अवैध हथियार को लेकर दौसा पुलिस लाईन आरमोरर के पास गये थे।

17– पी.ड. 5 जवाहरलाल शर्मा ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मेरे पास एक अल्टो गाडी थी जिसके नम्बर आरजे 02 सीए 7289 थे। जिसका मालिक मैं स्वयं था। इस गाडी को मैंने दिनांक 13.01.2019 को जरिये एग्रीमेंट दयाल सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी निवासी कालाकुआं बस्ती अलवर को 82,000/– रूपये में बेचान कर दिया था तथा बेचान के साथ ही मैंने दयाल सैनी को मेरी अल्टो गाडी की असल आरसी, बीमा व फॉर्म नम्बर 29 व 30 पर हस्ताक्षर कर उसको संभला दिये थे। इसके बाद उक्त अल्टो गाडी से मेरा कोई लेना–देना नहीं रहा है और न ही आज

दिनांक तक कोई लेना–देना है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि मुलजिम द्वारा– मैंने उक्त गाडी को सन् 2009 में खरीदा था। यह कहना सही है कि 2019 से लेकर घटना के दिन तक उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी मैं ही था। यह कहना गलत है कि मैंने दयाल सैनी को जो जरिये इकरारनामा व दस्तावेज दिये थे वो आज शामिल पत्रावली न हो। यह कहना सही है कि दयाल सैनी को दिये गये इकरारनामा व दस्तावेज मूल पत्रावली पर मौजूद नहीं है उनकी फोटोप्रतियां है। यह बात सही है कि फॉर्म नम्बर 29 व 30 की जो फोटोप्रति है उन पर क्रेता दयाल सैनी का नाम अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि घटना के समय उक्त वाहन पर मैं स्वयं मौजूद हूं और मुलजिमान को बचाने के लिये आज झूंठे बयान दे रहा हूं।

18– पी.ड. 6 कमलसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 10.02.2020 को पुलिस थाना सिकन्दरा पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन समय 4.20 पीएम पर थानाधिकारी श्री राजपाल जी, मैं, कानि. दिलीप, कानि. ईश्वर, कानि. सज्जन, कानि. पन्नालाल, कानि. सुरेश, कानि. सुरज्ञान थाना सिकन्दरा के सामने एसएच 25 पर नाकाबंदी कर रहे थे। दौराने नाकाबंदी समय 4.50 पीएम पर एक अल्टो गाडी नम्बर आरजे 02 सीए 7289 अलवर की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसको थानाधिकारी राजपाल जी द्वारा हाथ का इशारा देकर रुकवाया। वाहन चालक ने नाकाबंदी को तोड़ते हुये भागने की कोशिश की। तब सभी मुलाजमानों के द्वारा उक्त वाहन को बमुश्किल रोककर वाहन में बैठे व्यक्ति को सावधानीपूर्वक पकड़कर नाम–पता पूछा तो अपना नाम खुशीराम पुत्र रामकिशन जाती गुर्जर निवासी माधोगढ होना बताया, जिसे इंचार्ज साहब द्वारा चेक किया गया तो खुशीराम की पेंट की आंट में कमर की बायी तरफ एक 315 बोर का देशी कट्टा मिला। जिसमे लोहे की नाल व लकड़ी का बट लगा हुआ था। जिसको खोलकर चेक किया गया तो उसमें एक जिंदा कारतूस लोड मिला, जिसे खाली करवाकर अनलोड किया गया। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा उक्त देशी कट्टे को अपने पास रखने के बारे में कोई वैध अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र या लाईसेंस होना नहीं बताया। जिस पर उक्त कट्टा व कारतूस को जब्त कर मार्का ए व बी अंकित किया गया। जिसको जब्त कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। मुलजिम खुशीराम की डिटेनसुदा गाडी अल्टो 02 सीए 7289 के बारे मे पूछा गया तो

उक्त वाहन मुलजिम खुशीराम ने अपना स्वयं का होना बताया तथा उक्त अल्टो गाडी की डिग्गी को इंचार्ज साहब द्वारा खोलकर देखा गया तो एक काले रंग का बोरा रखा नजर आया, जिसके संबंध में उक्त शख्स से जानकारी चाही तो कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया एवं उक्त काले बोरे के संबंध में पुनः पूछा तो खुशीराम ने बताया कि उसमें डोडा व चूडा है। उक्त वाहन की तलाशी लाने हेतु स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कानि. पन्नालाल 1151 को समय 5.10 पीएम पर हुक्मनामा देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया तो समय 5.25 पीएम पर आकर बताया कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं है। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा मौजूद जाप्ते में से कानि. सज्जन व कानि. दिलीप को गवाह बनने हेतु लिखित में सहमति ली गई। उक्त शख्स खुशीराम को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया। तत्पश्चात इंचार्ज साहब व कानि. दिलीप व सज्जन द्वारा मुलजिम को अपनी तलाशी दी गई। मुलजिम खुशीराम की तलाशी ली गई, जिसके बाये जेब में 4200/– रुपये नकद एवं दाहिनी जेब में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस मिला। उक्त अल्टो कार की तलाशी ली गई तो काले रंग का प्लास्टिक का बोरा मिला, जिसे चेक करने के लिए खोला गया तो डोडा जैसा पदार्थ मिला। जिससे उक्त शख्स खुशीराम से उक्त मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखने बाबत् लाईसेंस मांगा तो अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया, जिसे इलेक्ट्रिक कांटे से तोल किया तो प्लास्टिक बोरे सहित कुल वजन तेरह किलो सात सौ ग्राम व शुद्ध वजन तेरह किलो पांच सौ ग्राम होना बताया। उक्त डोडा पोस्ट में से ढाई सौ–ढाई सौ ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कंट्रोल सेम्पल लिये जाकर पृथक–पृथक प्लास्टिक की पन्नी में रखकर एक सफेद कपड़े की छोटी–छोटी थैलियों में रखकर पृथक–पृथक सीलमोहर कर मार्का सी व डी अंकित किया गया, शेष बचे अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट कुल वजन तेरह किलो को उसी प्लास्टिक के बोरे में रखकर मार्का ई अंकित किया गया। डिग्गी के अंदर एक इलेक्ट्रिक कांटा रखा हुआ मिला, जिसे भी जब्त किया गया एवं अल्टो गाडी आरजे 02 सीए 7289 को भी जब्त किया गया। शील्डमोहर करने के काम में ली गई सील को तोड़कर नष्ट किया गया। मुलजिम खुशीराम के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, 3/25 आम्र्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी 6 है। वापसी पर इंचार्ज साहब द्वारा मुकदमा नम्बर

52/2020 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि मैं इंचार्ज साहब के पास रीडर का कार्य करता था। यह बात सही है कि जहां कोई कार्यवाही होती है, वहां मैं इंचार्ज साहब के साथ जाता हूं। थाने से रवाना हुये थे, तब मुझे इंचार्ज साहब ने इत्तला के बारे में बताया था, जो इत्तला नाकाबंदी के बारे में थी। यह सही है कि इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी कि कोई व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। इंचार्ज साहब ने हमको गाडी के नम्बर बताये थे। मुझे इंचार्ज साहब ने इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि इस गाड़ी में बैठे हुये व्यक्ति के हुलिया, रंग, लंबाई क्या थी। यह सही है कि मेरे सामने थानाधिकारी ने मुखबीर द्वारा दी गई सूचना के बारे में उच्चाधिकारियो को अवगत नहीं करवाया था। कार बांदीकुई की तरफ से आई थी। यह बात सही है कि जब बांदीकुई की तरफ से आते है, तब टोल टैक्स भी पड़ता है। यह मैं नहीं कह सकता कि उस टोल टैक्स पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हो। सिकन्दरा टोल से उक्त वाहन कितने बजे निकला, यह मेरी जानकारी में नहीं है, हमारे द्वारा 4.50 पीएम पर वाहन को थाने पर रुकवाया था। यह बात सही है कि उस समय थाने के सामने कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुये थे। मेरे पास एन्ड्रोइड मोबाईल है। यह बात सही है कि जाप्ते में से सबके पास एन्ड्रोइड मोबाईल है। यह बात सही है कि उस समय मेरा मोबाईल सही था और उससे वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती थी। यह सही है कि उस मोबाईल से कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे। यह सही है कि मैंने कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं बनाई थी। मेरे सामने उक्त कार्यवाही की मौजूदा जाप्ते में से किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं बनाई थी। यह सही है कि हमने गाडी रुकाते ही गाडी में रखे डोडापोस्त व हथियार को हमने हमारी कस्टडी में ले लिया था। इस गवाह से पूछा गया कि मुलजिम को कस्टडी में लेने के बाद में प्रदर्शपी 1 लगायत 12 की कार्यवाही की गई? तो गवाह ने उत्तर दिया कि प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 12 जैसे–जैसे कार्यवाही की थी, वैसे–वैसे तैयार की गई। सबसे पहले हमने गाडी को रुकवाया, उसको चैक किया, तब उसके पास में एक कट्टा व 315 बोर का कारतूस मिला। बाद में संपूर्ण तलाशी ली गई। यह सही है हमने कट्टा व कारतूस मिलने के बाद में संपूर्ण गाडी को चैक किया था। गाडी के अंदर डिग्गी में एक बोरा मिला था। उस समय यह मेरी जानकारी में नहीं था कि इसमें क्या है। उस समय

मुलजिम को पूछा था तो उसने बताया था कि इसमें क्या है। जिस समय मुलजिम ने यह बताया था कि इसमें डोडा है, उस समय हमने कट्टे को खोलकर नहीं देखा था। यह सही है कि सबसे पहले कट्टे को थानाधिकारी ने निकाला था, जो लोड था। उस कट्टे को थानाधिकारी द्वारा अनलोड किया गया था। यह सही है कि कट्टे को जब्त करने के संबंध में फर्द बनाई थी। यह सही है कि मेरे सामने इस संपूर्ण कार्यवाही का नक्शा मौका नहीं बनाया गया। उसके अलावा उस गाडी में और कोई नहीं था। मैं राधेश्याम को नहीं जानता हूं। राधेश्याम खुशीराम का साला है, यह मैं नहीं जानता हूं। राधेश्याम के खिलाफ कोई कार्यवाही की, इस के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे सामने स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कानि. पन्नालाल को भेजा था। यह बात सही है कि पन्नालाल ने किस व्यक्ति ने स्वतंत्र गवाह बनने से इन्कार किया, उसका नाम लिखित में नहीं दिया और न ही मेरे सामने बताया। यह बात सही है कि मैं थानाधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता हूं। यह सही है कि जो घटना मैं बताता हूं, यह थाने के सामने पीडब्ल्यूडी के सामने एक चाय की थडी की थी। यह सही है कि इस थडी पर आम लोग चाय पीने आते हैं। यह सही है कि इस चाय की थडी पर लोग चाय पीने के लिए आते रहते हैं। स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कानि. पन्नालाल को कस्बे की तरफ भेजा था। हमने चाय की थडी पर बैठे लोगों से व चाय की दुकान के मालिक से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। मुलजिम को मेरे सामने धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस की कार्यवाही की थी। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 की कार्यवाही हुई, उस समय मैं वही मौजूद था। प्रदर्शपी 3 वहीं नोटिस है, जिसे मुलजिम से जब्त किया था। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस मुलजिम की जेब से मिला था। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि मुलजिम ने उस नोटिस को फोल्ड करके रखा हो। यह सही है कि यह नोटिस उसकी दाहिनी जेब में रखा था। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस प्लेन है, यह पत्रावली पर फोल्ड नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस में इस बात की सहमति अंकित नहीं है कि मुलजिम को किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष व निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिलाये जाने से इंकार किया हो। यह सही है कि हमारा सीओ मानपुर लगता है। यह बात सही है कि मेरे सामने सीओ साहब को थानाधिकारी ने मौके पर नहीं बुलाया। यह बात सही है कि मुलजिम की तलाशी हेतु निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं

किया। यह बात सही है कि जब्त किये गये कट्टा व कारतूस व डोडोपोस्त न्यायालय के समक्ष नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 13 की कार्यवाही में किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। यह सही है कि कार्यवाही से पहले कोई नमूनाशील की कोई अलग से फर्द नहीं बनाई गई। अजखुद कहा कि कार्यवाही के दौरान नमूनाशील बनाई गई। यह सही है कि अल्टो गाडी की चाबी ली गई, उसकी अलग से कोई फर्द नहीं बनाई गई और न ही खोलने की फर्द बनाई गई। इलेक्ट्रिक कांटा किस कंपनी का था, यह मुझे पता नहीं है। यह सही है कि मुलजिम के पास से मिले 4200/– रुपये में कितने–कितने के नोट थे, यह मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि हमने मुलजिम को कपटपूर्वक तरीके से दबाव में डालकर इन सभी कार्यवाहियो पर मुलजिम के जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये हो। यह सही है कि मैंने नशीले पदार्थों को पहचानने के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं कर रखा है। कट्टे की लंबाई व नाल की लंबाई कितनी थी, यह मैं नहीं बता सकता। यह बात सही है कि आज मैं कारतूस की लंबाई व कारतूस के मार्का के बारे में नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुलजिम को फंसाने के लिए झूठे बयान दे रहा हूं। यह कहना भी गलत है कि हमने संपूर्ण कार्यवाही मुलजिमान को थाने पर ले जाकर की हो। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 13 की कार्यवाही कम्प्यूटर द्वारा लिखी गई है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस हस्तलिखित नहीं है।

19– पी.ड. 7 सुरज्ञान सिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 10.02.2020 को पुलिस थाना सिकन्दरा पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन समय 4.20 पीएम पर थानाधिकारी श्री राजपाल जी, मैं, कानि. दिलीप, कानि. ईश्वर, कानि. सज्जन, कानि. पन्नालाल, कानि. सुरेश, कानि. कमलसिंह थाना सिकन्दरा के सामने एसएच 25 पर नाकाबंदी कर रहे थे। दौराने नाकाबंदी समय 4.50 पीएम पर एक अल्टो गाडी नम्बर आरजे 02 सीए 7289 अलवर की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसको थानाधिकारी राजपाल जी द्वारा हाथ का इशारा देकर रुकवाया। वाहन चालक ने नाकाबंदी को तोड़ते हुये भागने की कोशिश की। तब सभी मुलाजमानों के द्वारा उक्त वाहन को बमुश्किल रोककर वाहन में बैठे व्यक्ति को सावधानीपूर्वक पकड़कर नाम–पता पूछा तो अपना नाम खुशीराम पुत्र रामकिशन जाती गुर्जर निवासी माधोगढ होना बताया, जिसे इंचार्ज साहब द्वारा चेक किया गया

तो खुशीराम की पेंट की आंट में कमर की बायी तरफ एक 315 बोर का देषी कट्टा मिला। जिसमे लोहे की नाल व लकड़ी का बट लगा हुआ था। जिसको खोलकर चेक किया गया तो उसमें एक जिंदा कारतूस लोड मिला, जिसे खाली करवाकर अनलोड किया गया। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा उक्त देषी कट्टे को अपने पास रखने के बारे में कोई वैध अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र या लाईसेंस होना नहीं बताया। जिस पर उक्त कट्टा व कारतूस को जब्त कर मार्का ए व बी अंकित किया गया। जिसको जब्त कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। मुलजिम खुशीराम की डिटेनसुदा गाडी अल्टो 02 सीए 7289 के बारे मे पूंछा गया तो उक्त वाहन मुलजिम खुशीराम ने अपना स्वयं का होना बताया तथा उक्त अल्टो गाडी की डिग्गी को इंचार्ज साहब द्वारा खोलकर देखा गया तो एक काले रंग का बोरा रखा नजर आया, जिसके संबंध में उक्त शख्स से जानकारी चाही तो कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया एवं उक्त काले बोरे के संबंध में पुनः पूछा तो खुशीराम ने बताया कि उसमें डोडा व चूडा है। उक्त वाहन की तलाषी लाने हेतु स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कानि. पन्नालाल 1151 को समय 5.10 पीएम पर हुक्मनामा देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया तो समय 5.25 पीएम पर आकर बताया कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं है। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा मौजूद जाप्ते में से कानि. सज्जन व कानि. दिलीप को गवाह बनने हेतु लिखित में सहमति ली गई। उक्त षख्स खुषीराम को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया। तत्पश्चात इंचार्ज साहब व कानि. दिलीप व सज्जन द्वारा मुलजिम को अपनी तलाशी दी गई। मुलजिम खुशीराम की तलाशी ली गई, जिसके बाये जेब में 4200/– रुपये नकद एवं दाहिनी जेब में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस मिला। उक्त अल्टो कार की तलाषी ली गई तो काले रंग का प्लास्टिक का बोरा मिला, जिसे चेक करने के लिए खोला गया तो डोडा जैसा पदार्थ मिला। जिससे उक्त षख्स खुषीराम से उक्त मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखने बाबत् लाईसेंस मांगा तो अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया, जिसे इलेक्ट्रिक कांटे से तोल किया तो प्लास्टिक बोरे सहित कुल वजन तेरह किलो सात सौ ग्राम व शुद्ध वजन तेरह किलो पांच सौ ग्राम होना बताया। उक्त डोडा पोस्ट में से ढाई सौ–ढाई सौ ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कंट्रोल सेम्पल लिये जाकर पृथक–पृथक प्लास्टिक की पन्नी में रखकर एक सफेद कपड़े की छोटी–छोटी

थैलियों में रखकर पृथक–पृथक सीलमोहर कर मार्का सी व डी अंकित किया गया, शेष बचे अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट कुल वजन तेरह किलो को उसी प्लास्टिक के बोरे में रखकर मार्का ई अंकित किया गया। डिग्गी के अंदर एक इलेक्ट्रिक कांटा रखा हुआ मिला, जिसे भी जब्त किया गया एवं अल्टो गाडी आरजे 02 सीए 7289 को भी जब्त किया गया। शील्डमोहर करने के काम में ली गई सील को तोड़कर नष्ट किया गया। मुलजिम खुशीराम के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, 3/25 आम्र्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी 6 है। वापसी पर इंचार्ज साहब द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2020 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, 3/25 आम्र्स एक्ट में दर्ज किया गया। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि जब हम थाने से रवाना हुये थे, तब मुझे इंचार्ज साहब ने इत्तला के बारे में बताया था, जो इत्तला मुखबिर द्वारा परिवादी राजपाल को दी गई थी। यह सही है कि इस बात की मुझे जानकारी है कि कोई व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। इंचार्ज साहब ने हमको गाडी के नम्बर बताये थे। मुझे इंचार्ज साहब ने इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि इस गाड़ी में बैठे हुये व्यक्ति के हुलिया, रंग, लंबाई क्या थी। यह सही है कि मेरे सामने थानाधिकारी ने मुखबीर द्वारा दी गई सूचना के बारे में उच्चाधिकारियो को अवगत नहीं करवाया था। कार बांदीकुई की तरफ से आई थी। यह बात सही है कि जब बांदीकुई की तरफ से आते है, तब टोल टैक्स भी पड़ता है। यह बात सही है कि उस टोल टैक्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुये थे। सिकन्दरा टोल से उक्त वाहन कितने बजे निकला, यह मेरी जानकारी में नहीं है, हमारे द्वारा 4.50 पीएम पर वाहन को थाने पर रुकवाया था। यह बात सही है कि उस समय थाने के सामने कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुये थे। मेरे पास एन्ड्रोइड मोबाईल है। यह बात सही है कि जाप्ते में से सबके पास एन्ड्रोइड मोबाईल है। यह बात सही है कि उस समय मेरा मोबाईल सही था और उससे वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती थी। यह सही है कि उस मोबाईल से कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे। यह सही है कि मैंने व जाब्ता में मौजूद इंचार्ज साहब ने कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं बनाई थी। मेरे सामने उक्त कार्यवाही की मौजूदा जाप्ते में से किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं बनाई थी। यह सही है कि हमने गाडी रुकाते ही गाडी में रखे डोडापोस्त व हथियार को हमने हमारी कस्टडी में ले लिया था। हमने मुलजिम

को कस्टडी में लेने के बाद सारी कार्यवाही की थी। सबसे पहले हमने गाडी को रुकवाया, उसको चैक किया, तब उसके पास में एक कट्टा व 315 बोर का कारतूस मिला। बाद में संपूर्ण तलाशी ली गई। यह सही है हमने कट्टा व कारतूस मिलने के बाद में संपूर्ण गाडी को चैक किया था। गाडी के अंदर डिग्गी में एक बोरा मिला था। उस समय यह मेरी जानकारी में नहीं था कि इसमें क्या है। उस समय मुलजिम को पूछा था तो उसने बताया था कि इसमें क्या है। जिस समय मुलजिम ने यह बताया था कि इसमें डोडा है, उस समय हमने कट्टे को खोलकर नहीं देखा था। यह सही है कि सबसे पहले कट्टे को थानाधिकारी ने निकाला था, जो लोड था। उस कट्टे को थानाधिकारी द्वारा अनलोड किया गया था। यह सही है कि कट्टे को जब्त करने के संबंध में फर्द बनाई थी। यह सही है कि मेरे सामने इस संपूर्ण कार्यवाही का नक्शा मौका नहीं बनाया गया। उसके अलावा उस गाडी में और कोई नहीं था। मैं राधेश्याम को नहीं जानता हूं। राधेश्याम खुशीराम का साला है, यह मैं नहीं जानता हूं। राधेश्याम के खिलाफ कोई कार्यवाही की, इस के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे सामने स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कानि. पन्नालाल को भेजा था। यह बात सही है कि पन्नालाल ने किस व्यक्ति ने स्वतंत्र गवाह बनने से इन्कार किया, उसका नाम लिखित में नहीं दिया और न ही मेरे सामने बताया। यह बात सही है कि मैं थानाधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता हूं। यह सही है कि जो घटना मैं बताता हूं, यह थाने के सामने पीडब्ल्यूडी के सामने एक चाय की थडी की थी। यह सही है कि इस थडी पर आम लोग चाय पीने आते हैं। यह सही है कि इस चाय की थडी पर लोग चाय पीने के लिए आते रहते हैं। स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कानि. पन्नालाल को कस्बे की तरफ भेजा था। हमने चाय की थडी पर बैठे लोगों से व चाय की दुकान के मालिक से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। मुलजिम को मेरे सामने धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस की कार्यवाही की थी। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 की कार्यवाही हुई, उस समय मैं वही मौजूद था। प्रदर्शपी 3 वहीं नोटिस है, जिसे मुलजिम से जब्त किया था। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस मुलजिम की जेब से मिला था। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि मुलजिम ने उस नोटिस को फोल्ड करके रखा हो। यह सही है कि यह नोटिस उसकी दाहिनी जेब में रखा था। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस प्लेन है, यह पत्रावली पर फोल्ड नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3

नोटिस में इस बात की सहमति अंकित नहीं है कि मुलजिम को किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष व निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिलाये जाने से इंकार किया हो। यह सही है कि हमारा सीओ मानपुर लगता है। यह बात सही है कि मेरे सामने सीओ साहब को थानाधिकारी ने मौके पर नहीं बुलाया। यह बात सही है कि मुलजिम की तलाशी हेतु निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया। यह बात सही है कि जब्त किये गये कट्टा व कारतूस व डोडोपोस्त न्यायालय के समक्ष नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 13 की कार्यवाही में किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। यह सही है कि कार्यवाही से पहले कोई नमूनाशील की कोई अलग से फर्द नहीं बनाई गई। अजखुद कहा कि कार्यवाही के दौरान नमूनाशील बनाई गई। यह सही है कि अल्टो गाडी की चाबी ली गई, उसकी अलग से कोई फर्द नहीं बनाई गई और न ही खोलने की फर्द बनाई गई। इलेक्ट्रिक कांटा किस कंपनी का था, यह मुझे पता नहीं है। यह सही है कि मुलजिम के पास से मिले 4200/– रुपये में कितने–कितने के नोट थे, यह मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि हमने मुलजिम को कपटपूर्वक तरीके से दबाव में डालकर इन सभी कार्यवाहियो पर मुलजिम के जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये हो। यह सही है कि मैंने नशीले पदार्थों को पहचानने के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं कर रखा है। कट्टे की लंबाई व नाल की लंबाई कितनी थी, यह मैं नहीं बता सकता। यह बात सही है कि आज मैं कारतूस की लंबाई व कारतूस के मार्का के बारे में नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुलजिम को फंसाने के लिए झूठे बयान दे रहा हूं। यह कहना भी गलत है कि हमने संपूर्ण कार्यवाही मुलजिमान को थाने पर ले जाकर की हो। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 13 की कार्यवाही कम्प्यूटर द्वारा लिखी गई है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस हस्तलिखित नहीं है।

20– पी.ड. 8 ईश्वरसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 10.02.2020 को पुलिस थाना सिकन्दरा पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन समय 4.20 पीएम पर थानाधिकारी श्री राजपाल जी, मैं, कानि. दिलीप, मै स्वयं, कानि. सज्जन, कानि. पन्नालाल, कानि. सुरेश, कानि. सुरज्ञान थाना सिकन्दरा के सामने एसएच 25 पर नाकाबंदी कर रहे थे। दौराने नाकाबंदी समय 4.50 पीएम पर एक अल्टो गाडी नम्बर आरजे 02 सीए 7289 अलवर की तरफ से आती हुई दिखाई

दी, जिसको थानाधिकारी राजपाल जी द्वारा हाथ का इशारा देकर रुकवाया। वाहन चालक ने नाकाबंदी को तोड़ते हुये भागने की कोशिश की। तब सभी मुलाजमानों के द्वारा उक्त वाहन को बमुश्किल रोककर वाहन में बैठे व्यक्ति को सावधानीपूर्वक पकड़कर नाम–पता पूछा तो अपना नाम खुशीराम पुत्र रामकिशन जाती गुर्जर निवासी माधोगढ होना बताया, जिसे इंचार्ज साहब द्वारा चेक किया गया तो खुशीराम की पेंट की आंट में कमर की बायी तरफ एक 315 बोर का देषी कट्टा मिला। जिसमे लोहे की नाल व लकड़ी का बट लगा हुआ था। जिसको खोलकर चेक किया गया तो उसमें एक जिंदा कारतूस लोड मिला, जिसे खाली करवाकर अनलोड किया गया। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा उक्त देशी कट्टे को अपने पास रखने के बारे में कोई वैध अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र या लाईसेंस होना नहीं बताया। जिस पर उक्त कट्टा व कारतूस को जब्त कर मार्का ए व बी अंकित किया गया। जिसको जब्त कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। मुलजिम खुशीराम की डिटेनसुदा गाडी अल्टो 02 सीए 7289 के बारे मे पूंछा गया तो उक्त वाहन मुलजिम खुशीराम ने अपना स्वयं का होना बताया तथा उक्त अल्टो गाडी की डिग्गी को इंचार्ज साहब द्वारा खोलकर देखा गया तो एक काले रंग का बोरा रखा नजर आया, जिसके संबंध में उक्त शख्स से जानकारी चाही तो कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया एवं उक्त काले बोरे के संबंध में पुनः पूछा तो खुशीराम ने बताया कि उसमें डोडा व चूडा है। उक्त वाहन की तलाशी लाने हेतु स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कानि. पन्नालाल 1151 को समय 5.10 पीएम पर हुक्मनामा देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया तो समय 5.25 पीएम पर आकर बताया कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं है। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा मौजूद जाप्ते में से कानि. सज्जन व कानि. दिलीप को गवाह बनने हेतु लिखित में सहमति ली गई। उक्त शख्स खुशीराम को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया। तत्पश्चात इंचार्ज साहब व कानि. दिलीप व सज्जन द्वारा मुलजिम को अपनी तलाशी दी गई। मुलजिम खुशीराम की तलाशी ली गई, जिसके बाये जेब में 4200/–रुपये नकद एवं दाहिनी जेब में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस मिला। उक्त अल्टो कार की तलाशी ली गई तो काले रंग का प्लास्टिक का बोरा मिला, जिसे चेक करने के लिए खोला गया तो डोडा जैसा पदार्थ मिला। जिससे उक्त शख्स खुशीराम से उक्त मादक पदार्थ को अपने कब्जे में

रखने बाबत् लाईसेंस मांगा तो अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया, जिसे इलेक्ट्रिक कांटे से तोल किया तो प्लास्टिक बोरे सहित कुल वजन तेरह किलो सात सौ ग्राम व शुद्ध वजन तेरह किलो पांच सौ ग्राम होना बताया। उक्त डोडा पोस्ट में से ढाई सौ–ढाई सौ ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कंट्रोल सेम्पल लिये जाकर पृथक–पृथक प्लास्टिक की पन्नी में रखकर एक सफेद कपड़े की छोटी–छोटी थैलियों में रखकर पृथक–पृथक सीलमोहर कर मार्का सी व डी अंकित किया गया, शेष बचे अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट कुल वजन तेरह किलो को उसी प्लास्टिक के बोरे में रखकर मार्का ई अंकित किया गया। डिग्गी के अंदर एक इलेक्ट्रिक कांटा रखा हुआ मिला, जिसे भी जब्त किया गया एवं अल्टो गाडी आरजे 02 सीए 7289 को भी जब्त किया गया। षील्डमोहर करने के काम में ली गई सील को तोड़कर नष्ट किया गया। मुलजिम खुशीराम के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी 6 है। वापसी पर इंचार्ज साहब द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2020 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस थाने के सामने की गई थी। जब हम थाने से रवाना हुये थे, तब मुझे इंचार्ज साहब ने इत्तला के बारे में बताया था, जो इत्तला मुखबिर द्वारा परिवादी राजपाल को दी गई थी। यह सही है कि इस बात की मुझे जानकारी है कि कोई व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। इंचार्ज साहब ने हमको गाडी के नम्बर बताये थे। मुझे इंचार्ज साहब ने इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि इस गाड़ी में बैठे हुये व्यक्ति के हुलिया, रंग, लंबाई क्या थी। यह सही है कि मेरे सामने थानाधिकारी ने मुखबीर द्वारा दी गई सूचना के बारे में उच्चाधिकारियो को अवगत नहीं करवाया था। कार बांदीकुई की तरफ से आई थी। यह बात सही है कि जब बांदीकुई की तरफ से आते है, तब टोल टैक्स भी पड़ता है। यह बात सही है कि उस टोल टैक्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुये थे। सिकन्दरा टोल से उक्त वाहन कितने बजे निकला, यह मेरी जानकारी में नहीं है, हमारे द्वारा 4.50 पीएम पर वाहन को थाने पर रुकवाया था। यह बात सही है कि उस समय थाने के सामने कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुये थे। मेरे पास एन्ड्रोइड मोबाईल है। यह बात सही है कि जाप्ते में से सबके पास एन्ड्रोइड मोबाईल

है। यह बात सही है कि उस समय मेरा मोबाईल सही था और उससे वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती थी। यह सही है कि उस मोबाईल से कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे। यह सही है कि मैंने व जाब्ता में मौजूद इंचार्ज साहब ने कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं बनाई थी। मेरे सामने उक्त कार्यवाही की मौजूदा जाप्ते में से किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं बनाई थी। यह सही है कि हमने गाडी रुकाते ही गाडी में रखे डोडापोस्त व हथियार को हमने हमारी कस्टडी में ले लिया था। हमने मुलजिम को कस्टडी में लेने के बाद सारी कार्यवाही की थी। सबसे पहले हमने गाडी को रुकवाया, उसको चैक किया, तब उसके पास में एक कट्टा व 315 बोर का कारतूस मिला। बाद में संपूर्ण तलाशी ली गई। यह सही है हमने कट्टा व कारतूस मिलने के बाद में संपूर्ण गाडी को चैक किया था। गाडी के अंदर डिग्गी में एक बोरा मिला था। उस समय यह मेरी जानकारी में नहीं था कि इसमें क्या है। उस समय मुलजिम को पूछा था तो उसने बताया था कि इसमें क्या है। जिस समय मुलजिम ने यह बताया था कि इसमें डोडा है, उस समय हमने कट्टे को खोलकर नहीं देखा था। यह सही है कि सबसे पहले कट्टे को थानाधिकारी ने निकाला था, जो लोड था। उस कट्टे को थानाधिकारी द्वारा अनलोड किया गया था। यह सही है कि कट्टे को जब्त करने के संबंध में फर्द बनाई थी। यह सही है कि मेरे सामने इस संपूर्ण कार्यवाही का नक्शा मौका नहीं बनाया गया। उसके अलावा उस गाडी में और कोई नहीं था। मैं राधेश्याम को नहीं जानता हूं। राधेश्याम खुशीराम का साला है, यह मैं नहीं जानता हूं। राधेश्याम के खिलाफ कोई कार्यवाही की, इस के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे सामने स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कानि. पन्नालाल को भेजा था। यह बात सही है कि पन्नालाल ने किस व्यक्ति ने स्वतंत्र गवाह बनने से इन्कार किया, उसका नाम लिखित में नहीं दिया और न ही मेरे सामने बताया। यह बात सही है कि मैं थानाधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता हूं। यह सही है कि जो घटना मैं बताता हूं, यह थाने के सामने पीडब्ल्यूडी के सामने एक चाय की थडी की थी। यह सही है कि इस थडी पर आम लोग चाय पीने आते हैं। यह सही है कि इस चाय की थडी पर लोग चाय पीने के लिए आते रहते हैं। स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कानि. पन्नालाल को कस्बे की तरफ भेजा था। हमने चाय की थडी पर बैठे लोगों से व चाय की दुकान के मालिक से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। मुलजिम को मेरे सामने धारा 50

एनडीपीएस एक्ट के नोटिस की कार्यवाही की थी। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 की कार्यवाही हुई, उस समय मैं वही मौजूद था। प्रदर्शपी 3 वहीं नोटिस है, जिसे मुलजिम से जब्त किया था। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस मुलजिम की जेब से मिला था। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि मुलजिम ने उस नोटिस को फोल्ड करके रखा हो। यह सही है कि यह नोटिस उसकी दाहिनी जेब में रखा था। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस प्लेन है, यह पत्रावली पर फोल्ड नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस में इस बात की सहमति अंकित नहीं है कि मुलजिम को किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष व निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिलाये जाने से इंकार किया हो। यह सही है कि हमारा सीओ मानपुर लगता है। यह बात सही है कि मेरे सामने सीओ साहब को थानाधिकारी ने मौके पर नहीं बुलाया। यह बात सही है कि मुलजिम की तलाशी हेतु निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया। यह बात सही है कि जब्त किये गये कट्टा व कारतूस व डोडोपोस्त न्यायालय के समक्ष नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 13 की कार्यवाही में किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। यह सही है कि कार्यवाही से पहले कोई नमूनाशील की कोई अलग से फर्द नहीं बनाई गई। अजखुद कहा कि कार्यवाही के दौरान नमूनाशील बनाई गई। यह सही है कि अल्टो गाडी की चाबी ली गई, उसकी अलग से कोई फर्द नहीं बनाई गई और न ही खोलने की फर्द बनाई गई। इलेक्ट्रिक कांटा किस कंपनी का था, यह मुझे पता नहीं है। यह सही है कि मुलजिम के पास से मिले 4200/– रुपये में कितने–कितने के नोट थे, यह मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि हमने मुलजिम को कपटपूर्वक तरीके से दबाव में डालकर इन सभी कार्यवाहियो पर मुलजिम के जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये हो। यह सही है कि मैंने नशीले पदार्थों को पहचानने के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं कर रखा है। कट्टे की लंबाई व नाल की लंबाई कितनी थी, यह मैं नहीं बता सकता। यह बात सही है कि आज मैं कारतूस की लंबाई व कारतूस के मार्का के बारे में नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुलजिम को फंसाने के लिए झूठे बयान दे रहा हूं। यह कहना भी गलत है कि हमने संपूर्ण कार्यवाही मुलजिमान को थाने पर ले जाकर की हो। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 13 की कार्यवाही कम्प्यूटर द्वारा लिखी गई है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस हस्तलिखित नहीं है।

21– पी.ड. 9 सुरेशचंद ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 10.02.2020 को पुलिस थाना सिकन्दरा पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन शाम को साढे चार बजे के लगभग थानाधिकारी राजपाल जी के साथ मैं तथा कानि. दिली, कानि. सज्जन, कानि. ईश्वर सिंह, कानि. पन्नालाल, कानि. कमलसिंह, कानि. सुरज्ञान के साथ थाने के सामने सिकन्दरा से अलवर जाने वाले रोड पर नाकाबंदी शुरू की गई। दौराने नाकाबंदी समय 4.50 पीएम पर एक अल्टो गाडी नम्बर आरजे 02 सीए 7289 अलवर की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसको थानाधिकारी राजपाल जी द्वारा हाथ का इशारा देकर रुकवाया। वाहन चालक ने नाकाबंदी को तोड़ते हुये भागने की कोशिश की। तब सभी मुलाजमानों के द्वारा उक्त वाहन को बमुश्किल रोककर वाहन में बैठे व्यक्ति को सावधानीपूर्वक पकड़कर नाम–पता पूछा तो अपना नाम खुशीराम पुत्र रामकिशन जाती गुर्जर निवासी माधोगढ होना बताया, जिसे इंचार्ज साहब द्वारा चेक किया गया तो खुषीराम की पेंट की आंट में कमर की बायी तरफ एक 315 बोर का देशी कट्टा मिला। जिसमे लोहे की नाल व लकड़ी का बट लगा हुआ था। जिसको खोलकर चेक किया गया तो उसमें एक जिंदा कारतूस लोड मिला, जिसे खाली करवाकर अनलोड किया गया। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा उक्त देषी कट्टे को अपने पास रखने के बारे में कोई वैध अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र या लाईसेंस होना नहीं बताया। जिस पर उक्त कट्टा व कारतूस को जब्त कर मार्का ए व बी अंकित किया गया। जिसको जब्त कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। मुलजिम खुशीराम की डिटेनसुदा गाडी अल्टो 02 सीए 7289 के बारे मे पूंछा गया तो उक्त वाहन मुलजिम खुशीराम ने अपना स्वयं का होना बताया तथा उक्त अल्टो गाडी की डिग्गी को इंचार्ज साहब द्वारा खोलकर देखा गया तो एक काले रंग का बोरा रखा नजर आया, जिसके संबंध में उक्त शख्स से जानकारी चाही तो कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया एवं उक्त काले बोरे के संबंध में पुनः पूछा तो खुषीराम ने बताया कि उसमें डोडा व चूडा है। उक्त वाहन की तलाषी लाने हेतु स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कानि. पन्नालाल 1151 को समय 5.10 पीएम पर हुक्मनामा देकर गवाह तलब करने हेतु भेजा गया तो समय 5.25 पीएम पर आकर बताया कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं है। जिस पर इंचार्ज साहब द्वारा मौजूद जाप्ते में से कानि. सज्जन व कानि. दिलीप को गवाह बनने हेतु

लिखित में सहमति ली गई। उक्त शख्स खुशीराम को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया। तत्पश्चात इंचार्ज साहब व कानि. दिलीप व सज्जन द्वारा मुलजिम को अपनी तलाशी दी गई। मुलजिम खुशीराम की तलाशी ली गई, जिसके बाये जेब में 4200/– रुपये नकद एवं दाहिनी जेब में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस मिला। उक्त अल्टो कार की तलाशी ली गई तो काले रंग का प्लास्टिक का बोरा मिला, जिसे चेक करने के लिए खोला गया तो डोडा जैसा पदार्थ मिला। जिससे उक्त शख्स खुशीराम से उक्त मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखने बाबत् लाईसेंस मांगा तो अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया, जिसे इलेक्ट्रिक कांटे से तोल किया तो प्लास्टिक बोरे सहित कुल वजन तेरह किलो सात सौ ग्राम व षुद्ध वजन तेरह किलो पांच सौ ग्राम होना बताया। उक्त डोडा पोस्ट में से ढाई सौ–ढाई सौ ग्राम के दो सैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कंट्रोल सेम्पल लिये जाकर पृथक–पृथक प्लास्टिक की पन्नी में रखकर एक सफेद कपड़े की छोटी–छोटी थैलियों में रखकर पृथक–पृथक सीलमोहर कर मार्का सी व डी अंकित किया गया, षेष बचे अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट कुल वजन तेरह किलो को उसी प्लास्टिक के बोरे में रखकर मार्का ई अंकित किया गया। डिग्गी के अंदर एक इलेक्ट्रिक कांटा रखा हुआ मिला, जिसे भी जब्त किया गया एवं अल्टो गाडी आरजे 02 सीए 7289 को भी जब्त किया गया। शील्डमोहर करने के काम में ली गई सील को तोड़कर नष्ट किया गया। मुलजिम खुशीराम के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, 3/25 आम्र्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी 6 है। वापसी पर इंचार्ज साहब द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2020 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस थाने के सामने की गई थी। जब हम थाने से रवाना हुये थे, तब मुझे इंचार्ज साहब ने इत्तला के बारे में बताया था, जो इत्तला मुखबिर द्वारा परिवादी राजपाल को दी गई थी। यह सही है कि इस बात की मुझे जानकारी है कि कोई व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। इंचार्ज साहब ने हमको गाडी के नम्बर बताये थे। मुझे इंचार्ज साहब ने इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि इस गाड़ी में बैठे हुये व्यक्ति के हुलिया, रंग, लंबाई क्या थी। यह सही है कि मेरे सामने थानाधिकारी ने मुखबीर द्वारा दी गई सूचना के बारे में

उच्चाधिकारियो को अवगत नहीं करवाया था। कार बांदीकुई की तरफ से आई थी। यह बात सही है कि जब बांदीकुई की तरफ से आते है, तब टोल टैक्स भी पड़ता है। यह बात सही है कि उस टोल टैक्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुये थे। सिकन्दरा टोल से उक्त वाहन कितने बजे निकला, यह मेरी जानकारी में नहीं है, हमारे द्वारा 4.50 पीएम पर वाहन को थाने पर रुकवाया था। यह बात सही है कि उस समय थाने के सामने कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुये थे। मेरे पास एन्ड्रोइड मोबाईल है। यह बात सही है कि जाप्ते में से सबके पास एन्ड्रोइड मोबाईल है। यह बात सही है कि उस समय मेरा मोबाईल सही था और उससे वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती थी। यह सही है कि उस मोबाईल से कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे। यह सही है कि मैंने व जाब्ता में मौजूद इंचार्ज साहब ने कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं बनाई थी। मेरे सामने उक्त कार्यवाही की मौजूदा जाप्ते में से किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं बनाई थी। यह सही है कि हमने गाडी रुकाते ही गाडी में रखे डोडापोस्त व हथियार को हमने हमारी कस्टडी में ले लिया था। हमने मुलजिम को कस्टडी में लेने के बाद सारी कार्यवाही की थी। सबसे पहले हमने गाडी को रुकवाया, उसको चैक किया, तब उसके पास में एक कट्टा व 315 बोर का कारतूस मिला। बाद में संपूर्ण तलाशी ली गई। यह सही है हमने कट्टा व कारतूस मिलने के बाद में संपूर्ण गाडी को चैक किया था। गाडी के अंदर डिग्गी में एक बोरा मिला था। उस समय यह मेरी जानकारी में नहीं था कि इसमें क्या है। उस समय मुलजिम को पूछा था तो उसने बताया था कि इसमें क्या है। जिस समय मुलजिम ने यह बताया था कि इसमें डोडा है, उस समय हमने कट्टे को खोलकर नहीं देखा था। यह सही है कि सबसे पहले कट्टे को थानाधिकारी ने निकाला था, जो लोड था। उस कट्टे को थानाधिकारी द्वारा अनलोड किया गया था। यह सही है कि कट्टे को जब्त करने के संबंध में फर्द बनाई थी। यह सही है कि मेरे सामने इस संपूर्ण कार्यवाही का नक्शा मौका नहीं बनाया गया। उसके अलावा उस गाडी में और कोई नहीं था। मैं राधेश्याम को नहीं जानता हूं। राधेश्याम खुशीराम का साला है, यह मैं नहीं जानता हूं। राधेश्याम के खिलाफ कोई कार्यवाही की, इस के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। मेरे सामने स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कानि. पन्नालाल को भेजा था। यह बात सही है कि पन्नालाल ने किस व्यक्ति ने स्वतंत्र गवाह बनने से इन्कार किया, उसका नाम लिखित में नहीं दिया और न ही मेरे सामने बताया। यह बात सही

है कि मैं थानाधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता हूं। यह सही है कि जो घटना मैं बताता हूं, यह थाने के सामने पीडब्ल्यूडी के सामने एक चाय की थडी की थी। यह सही है कि इस थडी पर आम लोग चाय पीने आते हैं। यह सही है कि इस चाय की थडी पर लोग चाय पीने के लिए आते रहते हैं। स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कानि. पन्नालाल को कस्बे की तरफ भेजा था। हमने चाय की थडी पर बैठे लोगों से व चाय की दुकान के मालिक से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। मुलजिम को मेरे सामने धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस की कार्यवाही की थी। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 की कार्यवाही हुई, उस समय मैं वही मौजूद था। प्रदर्शपी 3 वहीं नोटिस है, जिसे मुलजिम से जब्त किया था। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस मुलजिम की जेब से मिला था। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि मुलजिम ने उस नोटिस को फोल्ड करके रखा हो। यह सही है कि यह नोटिस उसकी दाहिनी जेब में रखा था। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस प्लेन है, यह पत्रावली पर फोल्ड नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस में इस बात की सहमति अंकित नहीं है कि मुलजिम को किसी भी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष व निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी दिलाये जाने से इंकार किया हो। यह सही है कि हमारा सीओ मानपुर लगता है। यह बात सही है कि मेरे सामने सीओ साहब को थानाधिकारी ने मौके पर नहीं बुलाया। यह बात सही है कि मुलजिम की तलाशी हेतु निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया। यह बात सही है कि जब्त किये गये कट्टा व कारतूस व डोडोपोस्त न्यायालय के समक्ष नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 13 की कार्यवाही में किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। यह सही है कि कार्यवाही से पहले कोई नमूनाशील की कोई अलग से फर्द नहीं बनाई गई। अजखुद कहा कि कार्यवाही के दौरान नमूनाशील बनाई गई। यह सही है कि अल्टो गाडी की चाबी ली गई, उसकी अलग से कोई फर्द नहीं बनाई गई और न ही खोलने की फर्द बनाई गई। इलेक्ट्रिक कांटा किस कंपनी का था, यह मुझे पता नहीं है। यह सही है कि मुलजिम के पास से मिले 4200/– रुपये में कितने–कितने के नोट थे, यह मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि हमने मुलजिम को कपटपूर्वक तरीके से दबाव में डालकर इन सभी कार्यवाहियो पर मुलजिम के जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये हो। यह सही है कि मैंने नशीले पदार्थों को पहचानने के

लिए कोई अलग से कोर्स नहीं कर रखा है। कट्टे की लंबाई व नाल की लंबाई कितनी थी, यह मैं नहीं बता सकता। यह बात सही है कि आज मैं कारतूस की लंबाई व कारतूस के मार्का के बारे में नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुलजिम को फंसाने के लिए झूठे दे रहा हूं। यह कहना भी गलत है कि हमने संपूर्ण कार्यवाही मुलजिमान को थाने पर ले जाकर की हो। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 13 की कार्यवाही कम्प्यूटर द्वारा लिखी गई है। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस हस्तलिखित नहीं है।

22– पी.ड. 10 पन्नालाल ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 10.02.2020 को पीएस सिकंदरा मे कानि के पद पर था। उस दिन राजपाल सिंह पुलिस निरीक्षक व स्आफ के साथ गश्त व नाकेबंदी के लिए निकले थे। हम करीब शाम को 04.20 पीएम पर एनएच–25 पर नाकेबंदी के दौरान सामने से अल्टो कार नंबर आरजे 02 सीए 7289 अलवर की ओर से आती हुयी दिखायी दी। जिसको रोकने के लिए हाथ से इशारा किया। लेकिन उक्त वाहन चालक द्वारा बिना रूके नाकेबंदी तोड़कर भागने लगा। फिर हमने हमारी टीम के द्वारा सतर्कता करतते हुये उसे रोका। उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम खुशीराम पुत्र रामकिशन निवासी माधोगढ होना बताया। थानाधिकारी द्वारा खुशीराम का गाडी से नीचे उतरने को कहा। थानाधिकारी द्वारा खुशीराम की तलाशी ली तो उसकी पेंट की आंट मे एक हस्तनिर्मित देशी कट्ट 315 बोर का मिला जिस पर स्टील की पॉलिस हो रखी थी। जिसकी नाल पर लकड़ी की बट लगी हुयी थी। जिसकी लंबाई ग्यारह इंच थी। उक्त देशी कट्टे को खोलकर देखा तो कट्टे के लाईसेंस के बारे मे उससे पूछा तो उसने लाईसेंस नही होना जाहिर किया। उक्त मिले देशी कट्टे को प्लास्टिक की सफेद पारदर्शी डिब्बे में रखकर शील्डमोहर कर मार्का ए अंकित किया गया। उक्त बोर मे एक जिंदा कारतूस मिला, जिसको पुलिस ने कब्जे में लिया। उक्त डिटेनशुदा व्यक्ति खुशीराम से वाहन अल्टो कार के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वाहन मेरा है। जाप्ते द्वारा उक्त वाहन की तलाशी ली गई। डिग्गी में काले रंग का बोरा नजर आया, जिस पर थानाधिकारी द्वारा उसी राम से पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वह घबरा गया। डिटेनशुदा व्यक्ति से दोबारा पूछने पर उसने बताया कि उक्त बोरे में अवैध डोडा चूरा भरा हुआ है, जिस पर थानाधिकारी द्वारा आगे की

एनडीपीएस की कार्यवाही के लिए दो स्वतंत्र गवाह लाने के लिए हुक्मनामा देकर मुझे भेजा गया। मैंने आस–पास स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए लोगों से बातचीत की, लेकिन कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिस पर मैं वापस आकर थानाधिकारी को बताया कि कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिस पर थानाधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के लिए जाप्ते में से ही सज्जन सिंह व दिलीप कुमार को कार्यवाही के लिए लिखित में स्वतंत्र गवाह की सहमति प्राप्त की व थानाधिकारी द्वारा डिटेनशुदा व्यक्ति खुशीराम को उसकीयह बात सही है कि मुलजिमान खुशीराम द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से तलाशी नहीं लिये जाने का अंकन प्रदर्शपी 3 में नहीं है। प्रदर्शपी 3 वहीं नोटिस है, जो उसकी जेब से मिला था। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस प्लेन है, वह कहीं से फोल्ड हुआ नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्शपी 3 वह नोटिस नहीं हो जो मुलजिम के जेब से मिला हो। यह कहना सही है कि उक्त नोटिस हस्तलिखित नहीं है, कम्प्यूटर से लिखा हुआ है। प्रदर्शपी 3 में अलग से यह नोटिस अंकित नहीं है कि उक्त नोटिस की तलाशी राजपाल यादव द्वारा ली गई हो। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 में मुलजिमान द्वारा दिये गये नोटिस का कोई जवाब नहीं है। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस की कार्यवाही में केम्प घटनास्थल अंकित नहीं है। यह सही है कि प्रदर्शपी 4 की कार्यवाही 5.50 पीएम पर की गई है और प्रदर्शपी 3 की कार्यवाही 5.40 पीएम पर की गई है। यह सही है कि प्रदर्शपी 4 की कार्यवाही नोटिस प्राप्त होने के बाद में की गई है, जो प्रदर्शपी 3 की कार्यवाही के बाद में की गई है। यह बात सही है कि हमने वाहन को रोकते ही मुलजिमान व वाहन की तलाशी कर ली थी और यह भी सही है कि मुलजिम की तलाशी व वाहन की तलाशी लेने बाबत् धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया व उससे कहा गया कि आप चाहो तो किसी गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट से तलाशी लिवाना के लिए स्वतंत्र हो। जिस पर खुशीराम ने इन्कार किया व कहा कि आप ही मेरी तलाशी ले सकते हो। तलाशी लेने पर यह बात सही है कि मुलजिमान खुशीराम द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से तलाशी नहीं लिये जाने का अंकन प्रदर्शपी 3 में नहीं है। प्रदर्शपी 3 वहीं नोटिस है, जो उसकी जेब से मिला था। यह बात सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस प्लेन है, वह कहीं से फोल्ड हुआ नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्शपी 3 वह नोटिस नहीं हो जो मुलजिम के

जेब से मिला हो। यह कहना सही है कि उक्त नोटिस हस्तलिखित नहीं है, कम्प्यूटर से लिखा हुआ है। प्रदर्शपी 3 में अलग से यह नोटिस अंकित नहीं है कि उक्त नोटिस की तलाशी राजपाल यादव द्वारा ली गई हो। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 में मुलजिमान द्वारा दिये गये नोटिस का कोई जवाब नहीं है। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस की कार्यवाही में केम्प घटनास्थल अंकित नहीं है। यह सही है कि प्रदर्शपी 4 की कार्यवाही 5.50 पीएम पर की गई है और प्रदर्शपी 3 की कार्यवाही 5.40 पीएम पर की गई है। यह सही है कि प्रदर्शपी 4 की कार्यवाही नोटिस प्राप्त होने के बाद में की गई है, जो प्रदर्शपी 3 की कार्यवाही के बाद में की गई है। यह बात सही है कि हमने वाहन को रोकते ही मुलजिमान व वाहन की तलाशी कर ली थी और यह भी सही है कि मुलजिम की तलाशी व वाहन डिटेनशुदा व्यक्ति की पेन्ट की जेब में नोटिस की एक लिखित प्रति मिली व 4200/– रुपये नकद मिले, जिनको थानाधिकारी द्वारा अपने कब्जे में लिया गया, उसकी कार की तलाशी के लिए उससे स्वीकृति ली। काले रंग के बोरे को खोलकर चैक किया तो उसमे डोडापोस्ट होना पाया गया। खुशीराम से थानाधिकारी द्वारा खुशीराम से डोडा लाईसेंस के बारे में पूछा तो उसने कोई वैध लाईसेंस नहीं होना बताया। हमारे पास मौजूद अनुसंधान बॉक्स में से इलेक्ट्रोनिक कांटे को निकालकर उसका वजन किया गया तो उसका कुल वजन 13 किलो 700 ग्राम होना पाया गया व उसका शुद्ध वजन 13 किलो 500 ग्राम पाया गया। उक्त डोडापोस्ट से 250–250 ग्राम के दो सैम्पल पृथक थैली में निकालकर सीलमोहर कर मार्का सी से डी अंकित किया गया। शेष बचे माल को काले रंग के बोरे में रखकर शील्डमोहर किया गया व उसके पास मिले 4200/– रुपये को मालखाना में जमा कराया। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि थाने से रवाना होने से पूर्व एसएचओ साहब ने इम इस सूचना से अवगत करवा दिया हो कि मुखबीर से यह सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति कार से अवैध माधक पदार्थ व हथियार लेकर आ रहा हो। यह सही है कि हम थाने के सामने भी जब नाकाबंदी करते है तो गाडी लेकर जाते है। अल्टो गाडी के नंबर आरजे 02 सीए 7289 थे। यह कहना सही है कि बांदीकुई से सिकंदरा आते समय रास्ते मे टोलटैक्स आता है। टॉल टैक्स पर सीसीटीवी लगे हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। उस समय पुलिस थाने में सीसीटीवी लगे हो तो मुझे ध्यान नहीं है। मेरे पास उस समय एण्डॉइड मोबाईल था।

घटना के समय मेरे पास मोबाईल नहीं था। आईओ के पास उस समय गोबाईल फोन हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। यह सही है कि उक्त मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही मे वहां पर मौजूद पुलिस जाब्ते द्वारा कार्यवाही की कोई वीडियों रिकॉर्डिंग नहीं करवायी गयी थी। यह कहना गलत है कि गाडी को रोकते ही मुलजिमान व माल को हमने हमारी कस्टडी में ले लिया हो। सबसे पहले हमने गाडी को रूकवाया था। हमने गाड़ी रूकवाते ही मुलजिमान से कट्टा किसने जब्त किया था, मै आज नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि हमने कट्टा मिलते ही गाडी को बैंक कर लिया हो। हमने गाडी को रूकवा कर मुलजिमान व गाड़ी की तलाशी के लिए मौके पर स्वतंत्र गवाह प्रयास व नोटिस दिया था। यह बात सही है कि हमने मुलजिमान से कट्टा बरामद कर तलाशी ले ली थी। यह सही है कि तलाशी लेने के बाद माल बरामद हुआ था। यह बात राही है कि मुलजिमान से कट्टा बरामद कर गाडी की तलाशी लेकर मादक पदार्थ मुलजिमान व कट्टा को जाब्ता व इंचार्ज साहब द्वारा हमारी कस्टडी में ले लिया था। वह कट्टा लोड था या अनलोड था मेरी जानकारी में नहीं है। तलाशी के वक्त कट्टे को किसने लिया मेरी जानकारी में नहीं है। अजखुदकहा कि इंचार्ज साहब ने लिया था। इंचार्ज साहब ने जब कट्टा लोड था या अनलोड था इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। यह सही है कि मेरे सामने संपूर्ण कार्यवाही का नक्शा–मौका नहीं बनाया था। मै खुशीराम के साले राधेश्याम को नहीं जानता। उसी दिन खुशीराम के साले राधेश्याम के विरूद्ध कोई कार्यवाही की हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे स्वतंत्र बनाने के लिए नोटिस दिया था जिसे लेकर मैं चाय की थड़ी पर गया था। मैं जिस चाय की थड़ी की बात कर रहा हूँ वह घटना स्थल से लगभग 100 मीटर दूर होगी। उस थड़ी पर दो–तीन आदमी बैठे थे। वहां मौजूद व्यक्तियों से मैने स्वतंत्र गवाह बनने हेतु कहा था। उन्होंने नाम पता बताने से मना कर दिया। मै चाय की थडी पर गया और यहां पर मौजूद मिले व्यक्तियों ने जिसे अपने नोटिस के जवाब में अंकित किया हो तो पत्रावली देखकर बता सकता हूँ। यह बात सही है कि चाय की थड़ी पर मैं गया वहा मौजूद लोगों ने उक्त मुकदमे में स्वतंत्र गवाह बनने से इनकार किया हो, ऐसा नोटिस में अंकित नहीं है। मेरे सामने मुलजिमान को 50 एनडीपीएसका नोटिस दिया था। जो प्रदर्श पी 3 है। नोटिस को लेकर मुलजिमान ने मोडकर फोल्ड कर अपनी जेब में रख लिया। नोटिस मे मुलजिमान ने अपनी सहमती दी या नहीं मैं नहीं बता सकता क्योंकि

मैंने नोटिस नहीं पढ़ा था। मै आज यह नहीं बता सकता थानाधिकारी द्वारा मौके पर राजपत्रित अधिकारी सीओ साहब सिकराय को उक्त कार्यवाही मे उपस्थित होने हेतु कोई कार्यवाही की श्री मेरी जानकारी में नहीं है। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 नोटिस की मुड़ा हुआ नहीं है। यह सही है कि प्रदर्शपी 3 में मुलजिमान राजपत्रित अधिकारी व निकटतम मजिस्ट्रेट से स्वयं की तलाशी लिखित मे कोई सहमती अंकित नहीं है। मेरे सामने सीओ साहब नहीं आये थे। यह सही है कि मुलजिम की तलाशी हेतु निकटतम मजिस्ट्रेट व राजपत्रित अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया था। यह सही है कि जब्तशुदा माल कट्टा आज मेरे समक्ष न्यायालय मे नहीं है। यह सही है कि थानाधिकारी द्वारा अल्टो गाडी की अलग से कोई फर्द नहीं बनायी गयी थी। प्रदर्शपी 1 लगायत 12 की समस्त कार्यवाही कम्प्यूटर से प्रिंट निकालकर की गयी है, हस्तलिखित नहीं है। यह कहना भी सही है कि प्रदर्शपी 1 लगायत 13 की कार्यवाही मे किसी को भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है। यह कहना सही है कि इलैक्ट्रॉनिक कांटा किस कंपनी का था मुझे पता नहीं है। मुलजिम के पास 4200 रूपये के नोट कितने कितने केथे गुडो पता नहीं है। यह कहना गलत है कि हमने संपूर्ण कार्यवाही धाने पर बैठकर की हो। घटनास्थल पर अनुसंधान बॉक्स मे कम्प्यूटर था। यह कहना सही है कि मैं कट्टे व नाल की लंबाई कितनी थी मुझे पता नहीं है। अजखुदकहां कि पत्रावली देखकर बता सकता हूँ। यह सहीं है कि मैने मुख्य परीक्षा मे कट्टे की लंबाई–चौड़ाई बतायीपावली देखकर बतायी है।

23– पी.ड. 11 उम्मेद सिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 19.03.2020 को जिला आर्मोरर दौसा मे पदस्थापित था। उस दिन बनवारीलाल एसआई पीएस कोलवा और रामदयाल कानि. प्रकरण संख्या 52/20 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट मे जब्तसुदा देशी कट्टा 315 बोर व एक जिंदा करतूस 315 बोर के निरिक्षण के लिए लेकर आये थे जिसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसके अनुसार एक देशी कट्टा 315 बोर पर मार्का ए जो आग्नेय सस्त्र की श्रेणी में आता है यह कट्टा फायर करने योग्य था तथा पैकिट मार्का बी मे एक कारतूस 315 था जो फायर एम्यूनेशन की श्रेणी में आता है व फायर होने योग्य था। जिनका बाद निरीक्षण मेरे द्वारा उक्त हथियारों कपड़े की थैली मे रखकर को शील्डमोहर कर मार्का ए व बी अंकित किया जाकर बनवारी लाल एसआई को सुपुर्द किया गया।

जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है व जिला आर्मोरर की शील है तथा एक्स स्थान पर तीन नमूना शील अंकित है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 18 के समय उक्त हथियार का निरीक्षण किया था जो करीब 39 दिन बाद किया था। प्रदर्श पी 18 की कार्यवाही से पूर्व उक्त हथियार किसके कब्जे मे था मेरी जानकारी मे नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 18 मे उक्त हथियार खुशीराम से बरामद किया हो इस बात का अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि शील्डसुदा पैकेट का होना भी पत्रावली मे अंकन नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 18 में जब्त देशी कट्टा चला हुआ हो और उस पर कार्बन लगा यह भी अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि मैने उक्त कट्टे को लोड़ करके और फायर चलते हुये नहीं देखा है मैने तो केवल खाली को चैक किया था। यह सही है कि प्रदर्श पी 18 मे बट सहित कुल लंबाई 11 इंच जिसमे नाल की लंबाई 5 इंच व बंट की लंबाई 6 इंच हो ऐसा अंकित नहीं है। यह सही है कि बट लंबाई 6 इंच होना अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे पास प्रस्तुत होने से पूर्व उक्त कट्टे के साथ कोई छेड़छाड़ की हो तो मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैने कट्टे कट्टे का निरीक्षण नहीं किया हो और झूठी रिपोर्ट बना कर देदी हो।

24– पी.ड. 12 दयालसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मेरे पास एक अल्टो गाडी नम्बर आरजे 02 सीए 7289 थी, जो मैंने उक्त गाड़ी जवाहरलाल पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी ततारपुर जिला अलवर से दिनांक 13.01.2019 को जरिये इकरारनामा 100/– रुपये के स्टाम्प पर खरीदी थी तथा उक्त गाड़ी का रजिस्टर्ड स्वामी जवाहरलाल ही था। उक्त गाड़ी में मैंने दिनांक 07.02.2019 को जरिये इकरारनामा सुब्बाराम पुत्र सोहनलाल जाति गुर्जर निवासी मोजडी का बास पोस्ट सायबका जिला अलवर को बेचान कर दिया था तथा गाड़ी के साथ ही मैंने गाड़ी के असल कागजात, आरसी, इंश्योरेंस व फॉर्म नम्बर 29, 30 पर हस्ताक्षर कर तत्समय ही सुब्बाराम को संभला दिया था। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि पुलिस जब मेरे बयान लेने गई थी, तब मैंने उक्त वाहन सुब्बाराम को बेच दिया था। जिस समय मेरे बयान हुये थे, उस समय वाहन के स्वामी जवाहर थे।

25– पी.ड. 13 गिरेन्द्र कटारा ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 20.02.2019 को मैंने एक अल्टो गाड़ी नम्बर आरजे 02 सीए 7289 श्री सुब्बाराम से जरिये इकरारनामा 100/– रुपये के स्टाम्प पर खरीदी थी तथा उक्त गाड़ी का रजिस्टर्ड स्वामी जवाहरलाल ही था। उक्त गाड़ी में मैंने दिनांक 20.02.2019 को जरिये इकरारनामा खुशीराम पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर निवासी माधोगढ पुलिस थाना मालाखेडा जिला अलवर को बेचान कर दिया था तथा गाड़ी के साथ ही मैंने गाड़ी के असल कागजात, आरसी, इंश्योरेंस व फॉर्म नम्बर 29, 30 भी उसको गाड़ी के साथ संभला दिये थे और हस्ताक्षर कर दिये थे। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि पुलिस जब मेरे बयान लेने गई थी, तब मैंने उक्त वाहन सुब्बाराम को बेच दिया था। जिस समय मेरे बयान हुये थे, उस समय वाहन के स्वामी जवाहर थे।

26– पी.ड. 14 मुकेश कुमार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 18.02.2020 को पुलिस थाना सिकन्दरा पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन एचएम थाना ने मुझे मुकदमा नम्बर 52/2020 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट में बतौर जब्तशुदा माल को एफएसएल जयपुर में परीक्षण हेतु एक शील्डशुदा पैकेट मय अग्रेषण पत्र के जमा करवाने हेतु दिया था, जिसको मैंने उक्त शील्डशुदा माल को एफएसएल में उसी दिन जमा करवाकर बाद प्राप्ति रसीद वापस एचएम मालखाना सिकन्दरा को लाकर सुपुर्द कर दी थी। जमा मालखाना रसीद प्रदर्शपी 16 है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि जो माल जमा करवाया था वह मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि वह माल सील बन्द हालत में था। यह बात सही है कि घटना के दिन से लेकर माल जमा करवाने तक उक्त माल किस स्थिति में था मेरी जानकारी में नहीं है और कहां पर था मेरी जानकारी में नहीं है।

27– पी.ड. 15 विनेश ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 11.02.2020 को थाना सिकंदरा पर कानि के पद पर था उस दिन मै मालखाना एचएम के अधिनस्थ सहायक का कार्य कर रहा था। मुकदमा नंबर 52/20 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का माल मुताबिक फर्द मुझे दिया गया जो मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज किया गया था। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल

बतौर वजह सबूत मुताबिक फर्द मालखाना मे जमा करवाने हेतु दिया गया था जिस पर मेरे द्वारा मालखाना के रजिस्टर के मद कमांक 382/16/2020 पर जमा किया गया। मालखाना रजिस्टर मे प्रदर्शपी 23 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी 23ए है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्शपी 23 मे जो माल जमा करवाया था वह एसएचओं साहब के द्वारा जमा करवाया गया था। मेरे सामने पुनः मादक पदार्थ के कोई भी सैंपल सील नहीं किया गया। और मेरे सामने किसी कट्टा को सील नहीं किया गया। सीलसुदा सामान के अंदर क्या–क्या सामन था मेरी जानकारी मे नहीं है। एफएसएल मे कितने दिन बाद भेजा उसकी रसीद लगी हुथी है। दिनांक 18.02.2020 को भेजा गया था। दिनांक 10.02. 2020 से 158.02.2020 तक उक्त सामान थाने मे ही पड़ा था। यह सही है कि मेरे सामने आईओ द्वारा उक्त सामान को खोलकर नहीं देखा गया था।

28– पी.ड. 16 मनीष शर्मा ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय दौसा से अभियोग संख्या 52/20 थाना सिकंदरा की अनुसंधान पत्रावली भेजकर मुलजिम खुशीराम पुत्र रामकिशन गुर्जर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। तत्कालीन जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी के द्वारा पत्रावली मे शामिल एफआईआर गवाहान के बयान फर्द जब्ती रिपोर्ट आर्मोरर की रिपोर्ट एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अध्ययन करने के पष्चात मुलजिम खुशीराम के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 मे अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जो प्रदर्शपी 19 है। जिस पर ए से बी श्री अविचल चतुर्वेदी तत्कालीन जिला कलेक्टर दौसा के हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा उनके अधीनस्थ कार्य करने से उनके हस्ताक्षर पहचानता हूं। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि मेरे द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गयी। मेरे द्वारा केवल स्वीकृती का आदेश बनाकर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 19 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है।

29– पी.ड. 17 सिब्बाराम ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मेरे पास एक गाडी आरजे 02 सीए 7289 थी। जिसको मैने दिनांक 07. 02.2019 को दयाल सैनी से जरिये इकरारनामा खरीदी थी। उसके करीब 12–13 दिन बाद उक्त गाडी को मय कागजात के गिरेन्द्र कटारा को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया था।

जिसका इकरारनामा फोटोप्रति फाईल पर लगा है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि मैने गाडी दयाल सैनी से 2019 में ली थी तारीख का मुझे पता नहीं है। जो जरिये एग्रीमेंट ली थी। जो 12–13 दिन बाद बेच दी थी। उस गाडी मे कोई खराबी नहीं थी। यह कहना सही है कि पत्रावली मे मेरे गाडी खरीदने व बेचने के असल एग्रीमेंट पत्रावली में मौजूद नहीं है। मैंने खुशीराम से न तो गाडी खरीदी और ना ही बेचने संबंधी दस्तावेजों की मूल प्रतिया मौजूद नहीं है, फोटोप्रतियां है। मैने गाडी अपने नाम ढांसफर नहीं करवायी थी।

30– पी.ड. 18 रेश्मा जानवानी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 09.06.2020 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदीकुई के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन थानाधिकारी पीएस कोलवा के द्वारा मुकदमा नंबर 52/2020 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस व 3/25 आर्म्स एक्ट जब्तसुदा आर्टीकल मार्क ए, बी, डी, ई माल की इण्वेंट्री कार्यवाही हेतु मुझे सीजेएम साहब दौसा का आदेश क्रमांक 151/26.02.2020 प्राप्त हुआ था जिस पर मुझे इण्वेंट्री कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया था उक्त आदेश मेरे समक्ष पीएस कोलवा के थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत गया जिस पर मेरे द्वारा दिनांक 09.06.2020 को पीएस कोलवा मे उपस्थित होकर इण्वेंट्री कार्यवाही की गयी थी। प्रकरण मे जब्तसुदा माल मार्का ए, बी, डी व ई शीलसुदा प्रस्तुत हुये। जिनमे मार्का ए व मार्का बी जब्ती अधिकारी के द्वारा जब्त सुदा अवैध देशी कट्टा व जिंदा कारतूस 312 बोर था जो मेरे द्वारा खोला नहीं गया था। मार्का डी कंट्रोल सैंपल था जो भी मेरे द्वारा नहीं खोला गया था। मार्का ई काले रंग का प्लास्टिक का कट्टा था जो सीलचिपडी किया हुआ था। जिसका कटटे सहित वजन 12 किलो 870 ग्राम था। जिसको खोलने के पश्चात उसमे डोडा पोस्ट जैसा पदार्थ था जिसका वजन 12 किलो 696 ग्राम मेरे द्वारा पाया गया था। जिसमे से मैने 250 ग्राम पृथक से तौलकर एक सफेद कपड़े की थैली मे रखकर उसकी सिलाई कर न्यायालय की शील चिट कर मार्का एम अंकित किया गया था। मार्का एम का वजन शीलचिट पश्चात 267 ग्राम था शेष बचे माल पुनः उसी कटटे मे रखकर शीलचेपा किया गया तथा उसका शीलचपडी व थैली सहित वजन किया जो 12 किलो 622 ग्राम था। जिसकी फोटोग्राफी भी की गयी थी। इण्वेंट्री के पश्चात मेरे द्वारा मार्का ए, बी ई व डी, एम मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दिया गया था।

इण्वेंट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना शील अंकित है। फोटोग्राफ प्रदर्श पी 25 लगायत 29 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। श्रीमान सीजेएम साहब दौसा द्वारा दिनांक 26.02.2020 को इण्वेंट्री कार्यवाही हेतु जारी आदेश प्रदर्श पी 30 है जिस पर सीजेएम साहब दौसा के हस्ताक्षर है। न्यायालय की आदेशिकाएं दिनांक 27.02.2020 से दिनांक 09.06.2020 प्रदर्श पी 31 है जिनमे पेज संख्या एक लगायत तीन है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि इण्वेंट्री कार्यवाही मे सूची बनायी जाती है। यह भी सही है कि सूची तैयार कर उस पर हस्ताक्षर किये जाते है। यह सही है कि सूची के प्रथम पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। इण्वेंट्री कार्यवाही के दौरान जो मेरे समक्ष मालखाना रजिस्टर पेश किया था। जिससे मैने माल का मिलान कर लिया था। यह सही है कि इण्वेंट्री की कार्यवाही से पूर्व मौके पर जो सैंपल लिये गये थे वो 52 ए की कार्यवाही से पूर्व एफएसएल मे भेज दिये थे। यह सही है कि एफएसएल सैंपल मेरे सामने पेश नहीं हुये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 25 पर जब्त माल की चिट पर मुलजिम व स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 25 मे मुलजिमान व स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं होने से उक्त माल इस प्रकरण मे जब्त नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि इण्वेंट्री कार्यवाही के दौरान वीडियोंग्राफी किया जाना आवश्यक है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा की गयी इण्वेट्री की विडीयोंग्राफी की सीडी नहीं है। लेकिन इण्वेंट्री कार्यवाही के दौरान फोटोग्राफी करवायी थी जो पत्रावली मे संलग्न है। फोटोग्राफी विनेश कानि. ने की थी। यह सही है कि विनेश द्वारा की गयी फोटोग्राफी से संबंधित कोई 65 बी का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। यह सही है कि मालखाना रजिस्टर मे प्लास्टिक के बोरे सहित 13 किलो 700 ग्राम वजन अंकित है जो एफएसएल व कंट्रोल सैंपल निकालने से पूर्व का है। यह कहना गलत है कि मैने इण्वेंट्री कार्यवाही मे केवल हस्ताक्षर किये हो और मेरे द्वारा कोई इण्वेंट्री कार्यवाही नहीं की हो।

31– पी.ड. 19 हिम्मत चारण ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 10.02.2020 को पुलिस वृत्ताधिकारी वृत्त मानपुर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुझे पीएस सिकंदरा के द्वारा मुकदमा नंबर 52/2020 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की सूचना तत्कालीन थानाधिकारी सिकंदरा

राजपाल सिंह के द्वारा धारा 57 एनडीपीएस का नोटिस दिया गया था। जिसकों मेरे द्वारा उसी दिन समय 11.20 पीएम पर रिसिव्ड कर एक प्रति वापिस थानाधिकारी को दे दी थी। धारा 57 एनडीपीएस एक्ट नोटिस प्रदर्श पी 32 है जिस पर ए से बी मेरे नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर है। नोटिस पर सी से डी थानाधिकारी राजपाल सिंह के हस्ताक्षर है जो मेरे अधिनस्थ थाना सिकंदरा के थानाधिकारी होने से मै उनके हस्ताक्षर पहचानता हुॅ। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि राजपाल सिंह के सी से डी हस्ताक्षर है वहां दिनांक व समय अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 32 नोटिस मुझे प्राप्त हुआ वहां से पीएस सिकंदरा की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। यह कहना सही है कि उस समय मै मानपुर मे वृत्त का राजपत्रित अधिकारी था। यह कहना सही है कि मुझे उक्त पत्र रात्री 11.20 पर प्राप्त हुआ था। यह मुझे याद नहीं है कि प्रदर्श पी 32 जो मुझे प्राप्त हुआ उसका अंकन किसी रजिस्टर मे होता है या नहीं। यह सही है कि प्रदर्श पी 32 के पृष्ठ संख्या एक व दो मे एसएचओं राजपाल सिंह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि मुझे प्रदर्श पी 32 की सूचना समस्त कार्यवाही के पश्चात दी गयी थी। यह कहना सही है कि राजपाल सिंह द्वारा कार्यवाही से पूर्व मुखबीर से इत्तला मिली हो कि कोई वाहन जिसका हूलिया गाडी अल्टो कार नंबर आरजे 02 सीए 7289 से कोई व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ व अवैध आम्र्स लेकर आ रहा हो। यह कहना सही है कि राजपाल सिंह द्वारा एनडीपीएस की कार्यवाही के समय मानपुर वृत्त का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते कार्यवाही मे उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस मुझे नहीं दिया गया।

32– **साक्ष्य के विवेचन के आधार पर न्यायालय का निष्कर्ष –**

पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन करने के पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में यदि विवेचन करें तो सर्वप्रथम इन तथ्यात्मक व विधिक पहलुओं की रोशनी में यह देखा जाना है कि क्या मौजूदा प्रकरण में अभियुक्तगण से कथित मादक पदार्थ की बरामदगी एवं तदनुसार की गई सेम्पलिंग की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अपनाकर की गई थी या नहीं?

33– धारा 42 की प्रयोज्यता एवं इसका अनुपालन –

इस संबंध में 1985 के अधिनियम की धारा 42 को उद्धृत किया जाना उचित है, जिससे मामले में स्पष्टता आ सके। यह प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

42. वारण्ट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति –

(1) केन्द्रीय उत्पादक–शुल्क स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अन्तर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ट अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी सम्पत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय ऽक के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी हैं, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्योस्त के बीच, –

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा;

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री तथा किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास

यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकेगा :

1[परंतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई, अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो :

परंतु यह और कि] यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारण्ट या प्राधिकारी, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में, अपने विश्वास के आधारों को लेखवद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहाँ कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परन्तुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहाँ वह उसकी प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घण्टे के भीतर भेजेगा।]

34– हस्तगत प्रकरण में धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की पालना के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रकरण में परिवादी/रिपोर्टकर्ता तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना सिकन्दरा राजपाल सिंह बार बार तलब किए जाने के बावजूद परीक्षित नहीं हुआ है और प्रकरण में जाब्ते के गवाहान पी.ड. 1

दिलीप सिंह कानि., पी.ड. 3 सज्जनसिंह कानि., पी.ड. 6 कमलसिंह कानि., पी.ड. 7 सुरज्ञान सिंह कानि., पी.ड. 8 ईश्वरसिंह कानि., पी.ड. 9 सुरेशचंद कानि. व पी.ड. 10 पन्नालाल कानि. परीक्षित हुए हैं। इन सभी गवाहान ने भी प्रकरण में धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है तथा ये सभी गवाहान थानाधिकारी को मादक पदार्थ होने बाबत पूर्व में ही जानकारी होने का कथन करते हैं। इस संबंध में अभियोजन ने जब्ती सार्वजनिक स्थान से होना बताया है जबकि प्रकरण में जब्ती वाहन अल्टो कार नं. आरजे 02 सीए 7289 से हुई है, जो कि एक प्राईवेट वाहन है। इसलिए प्रकरण में धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था लेकिन प्रकरण में परिवादी की ओर से धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही नहीं की गई है।

35– इस संबंध में निम्न सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत उल्लेखनीय है–

The Hon'ble Supreme Court in State of Rajasthan Vs Jag Raj Singh @ Hansa 2016 Cr.L.R[SC] 649 considered the broad contours of section 42 & 43 of NDPS Act & held:– Vehicle was not a 'public–transport' vehicle therefore, section 42 was not applicable is incorrect. No case for conducting search suddenly at 'public–place' attracted & compliance is mandatory.

The Hon'ble Supreme Court in Boota Singh & Ors Vs State of Haryana Live law 2021 SC 218 considered section 42 & 43 of NDPS Act & held:– 'Private–vehicle' would not quality as a 'Public–place' as per Explanation to section 43 of NDPS Ad. As per decision in Jagraj Singh @ Hansa, a seizure effected in a 'private–vehicle' would be governed by section 42 NDPS Act. Total non–compliance of section 42 is impermissible

उक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों में यह अभिनिधार्रित किया गया है कि प्राईवेट व्हीकल धारा 43 एनडीपीएस एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान नहीं माना जाएगा। इसलिए हस्तगत प्रकरण में धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट की पालना

कराया जाना आवश्यक था, जो नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

36– धारा 52 ए की प्रयोज्यता एवं इसका अनुपालन –

इस संबंध में 1985 के अधिनियम की धारा 52 ए को उद्धृत किया जाना उचित है, जिससे मामले में स्पष्टता आ सके। यह प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

''52 क. अभिगृहीत स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन –

(1) केन्द्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के संबंध में, परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए अतिसंवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, समुचित भंडारण स्थान की विषमता या किसी अन्य सुसंगत महत्व को ध्यान में रखकर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक औषधियों का वर्ग, मनःप्रभावी पदार्थों का वर्ग, नियंत्रित पदार्थों का वर्ग या हस्तांतरणों का वर्ग विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात अवधारित करे, व्ययन किया जाएगा।

(2) जहां कोई (स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों) अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी (स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों) की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या ऐसी (स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों) या पैकिंग की, जिनमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियां, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य ब्योरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी (स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों) को पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा, अर्थात् –

(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में (ऐसी औषधियों, पदार्थों या हस्तांतरणों) के फोटोचित्र लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, (स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों) के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।''

37– हस्तगत प्रकरण में धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट की पालना के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रकरण में गवाह पी.ड. 14 मुकेश कुमार, कानि. ने अपनी साक्ष्य में दिनांकः 18.02.2020 को मालखाना इंचार्ज द्वारा उसे सील्डशुदा पैकेट एफएसएल जयपुर में जमा करवाने के लिए दिए जाने पर उनको एफएसएल जयपुर में जमा करवाकर रसीद प्रदर्शपी 16 लाकर थाने में मालखाना इंचार्ज को देने का कथन किया है। गवाह पी.ड. 15 विनेश कानि. मालखाना एचएम का अधीनस्थ सहायक है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांकः 11.02.2020 को प्रकरण में जब्तशुदा माल को उसके द्वारा मालखाना में जमा कर मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 382/16/2020 पर इन्द्राज किया गया तथा इस गवाह ने मालखाना रजिस्टर की सत्यप्रति को प्रदर्शपी 23 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। प्रकरण में इन्वेन्ट्री कार्यवाही संपादित कर्ता पी.ड. 18 रेश्मा जानवानी तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई है, जिसके द्वारा प्रकरण में दिनांकः 09.06.2020 को इन्वेन्ट्री की कार्यवाही सम्पन्न की गई है, जिसकी सत्यापित एवं प्रमाणित रिपोर्ट प्रदर्शपी 24 है तथा इन्वेन्ट्री कार्यवाही सम्पादित करने के फोटोग्राफ

प्रदर्शपी 25 लगायत 29 है तथा धारा 52 ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु पुलिस थाना सिकन्दरा से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रदर्शपी 30 तथा न्यायालय की आदेशिका प्रदर्शपी 31 हैं। गवाह पी.ड. 2 बनवारीलाल, अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अनुसंधान बाबत साक्ष्य दी है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में धारा 52 ए एनडीपीएस की कार्यवाही की पालना की गई है।

38– धारा 50 की प्रयोज्यता एवं इसका अनुपालन –

जहां तक 1985 के अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन या गैर अनुपालन का प्रश्न है, इस संबंध में सर्वप्रथम उक्त प्रावधान को उद्धृत किया जाना आवश्यक है, जिससे स्पष्टता आ सके। यह प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

"50. वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी–

(1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो बिना अनावश्यक विलंब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उप–धारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा वह निर्देश देगा की तलाशी ली जाए।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के अन्तर्गत पूर्ण रूप से अधिकृत अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति जिसकी तलाशी ली जानी है, के कब्जे में किसी स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ अथवा वस्तु अथवा दस्तावेज को उससे अलग किए बिना, जिसकी तलाशी ली जानी है, नजदीकी

राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के पास तलाशी करने के लिए ले जाना संभव नहीं है, तो नजदीकी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को ले जाने की बजाय, वह उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जिस प्रकार से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के अन्तर्गत प्रदान किया गया है।

(6) उप–धारा (5) के अन्तर्गत तलाशी लेने के पश्चात, अधिकारी उस विश्वास के लिए कारणों को अभिलेखित करेगा, जिसके कारण तलाशी की आवश्यकता हुई और 72 घंटों के भीतर, उसकी एक प्रति अपने उच्चतम अधिकारी को भेजेगा।"

39– उक्त प्रावधान के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि यह केवल संदिग्ध व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले पर लागू होता है। **रंजन चड्ढा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्यः 2023 आई.एन.एस.सी. 878** के नवीनतम निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि 1985 के अधिनियम की धारा 50 विशेष रूप से व्यक्तिगत खोजों पर लागू होती है, ना की वाहनों या बैगों की तलाशी पर, जिसका अर्थ यह है कि धारा 50 का गैर अनुपालन वाहनों या बैगों से बरामदगी की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। इस संबंध में **कल्लू खान बनाम राजस्थान राज्यः क्रिमिनल अपील संख्या 1605/2021 (सुको)** के मामले में अभियुक्त जिस मोटर साइकिल से जा रहा था, उसमें से मादक पदार्थ की बरामदगी हुई थी। इसलिए धारा 50 के प्रावधान का अनुपालन लागू नहीं माना गया है। मौजूदा प्रकरण में सर्वप्रथम तो प्रकरण का जब्ती अधिकारी राजपाल सिंह तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना सिकन्दरा ने बार बार तलब किए जाने के बावजूदन न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है। हालांकि प्रकरण में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस को जाब्ते में शामिल गवाह पी.ड. 3 सज्जनसिंह कानि. व पी.ड. 1 दिलीप सिंह कानि. ने प्रदर्शपी 3 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। इस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 3 का अवलोकन करें तो इस प्रदर्शपी 3 नोटिस मे अभियुक्त का कोई लिखित जवाब अंकित नहीं है। इसके अलावा इस नोटिस प्रदर्शपी 03 की दूसरी प्रति जो अभियुक्त को देना बताया गया है, वह नोटिस भी परिवादी द्वारा जब्त नहीं किया गया है और उसकी कोई फर्द जब्ती भी नहीं बनाई गयी है तथा अभियुक्त को दी गई नोटिस की प्रति भी पत्रावली में मौजूद नहीं है, जो

उसके कब्जे से मिली हो, जो कि चन्दूवा जडेजा वाले पांच न्यायधिपतियों के न्यायिक दृष्टांत की यथोचित पालना नहीं हुई है।

40– अधिनियम की धारा 50 भी इस प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 50 में निम्न प्रावधान किया गया है:–

50. Conditions under which searchof persons shall be conducted.—(1) When any officer duly authorised under section 42 is about to search any person under the provisions of section 41, section 42 or section 43, he shall, if such person so requires, take such person without unnecessary delay tonearest Gazetted Officer of any of the departments mentioned in section 42 or to the nearest Magistrate.(2) If such requisition is made, the officer may detain the person until he can bring him before the Gazetted Officer or the Magistrate referred to insub-section (1).(3) The Gazetted Officer or the Magistrate before whom any such person is brought shall, if he sees no reasonable ground for search, forthwith discharge the person but otherwise shall direct that search be made.(4) No female shall be searched by anyone excepting a female.3[(5) When an officerduly authorised under section 42 has reason to believe that it is not possibleto take the person to be searched to the nearest Gazetted Officer or Magistratewithout the possibility of the person to be searched parting with possession ofany narcotic drug or psychotropic substance, or controlled substance or articleor document, he may, instead of taking such person to the nearest GazettedOfficer or Magistrate, proceed to search the person as provided under section100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).(6) After a search isconducted under sub-section (5), the officer shall record the reasons for suchbelief which necessitated such search

and within seventy-two hours send a copythereof to his immediate official superior.

1[50A.Power to undertake controlled delivery.—The Director General of Narcotics Control Bureau constituted under sub-section (3) of section 4 or any other officer authorisedby him in this behalf, may, notwithstanding anything contained in this Act, undertake controlled delivery of any consignment to—(a) any destination in India;(b) a foreign country, in consultation with the competent authority of such foreign country to which such consignment is destined, in such manner as may be prescribed.]

41– इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ का **न्यायिक दृष्टांत विजयसिंह चांदूभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य दिनांकः 29 अक्टूबर 2010 क्रिमीनल अपील संख्या 943/2005** महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम की धारा 50 की विस्तृत व्याख्या करते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के ही दो भिन्न भिन्न मत अधिनियम की धारा 50 के संबंध में होने के कारण इस न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

In view of the foregoing discussion, we are of the firm opinion that the object with which right under Section 50(1) of the NDPS Act, by way of a safeguard, has been conferred on the suspect, viz. to check the misuse of power, to avoid harm to innocent persons and to minimise the allegations of planting or foisting of false cases by the law enforcement agencies, it would be imperative on the part of the empowered officer to apprise the person intended to be searched of his right to be searched before a gazetted officer or a Magistrate. We have no hesitation in holding that in so far as the obligation of the authorised officer under sub–section (1) of Section 50 of the NDPS Act is concerned, it is mandatory and requires a strict compliance. Failure to comply with the provision would render the

recovery of the illicit article suspect and vitiate the conviction if the same is recorded only on the basis of the recovery of the illicit article from the person of the accused during such search. Thereafter, the suspect may or may not choose to exercise the right provided to him under the said provision. As observed in Re Presidential Poll14, it is the duty of the courts to get at the real intention of the Legislature by carefully attending to the whole scope of the provision to be construed. "The key to the opening of every law is the reason and spirit of the law, it is the animus imponentis, the intention of the law maker expressed in the law itself, taken as a whole." We are of the opinion that the concept of "substantial compliance" with the requirement of Section 50 of the NDPS Act introduced and read into the mandate of the said Section in Joseph Fernandez (supra) and Prabha Shankar Dubey (supra) is neither borne out from the language of sub–section (1) of Section 50 nor it is in consonance with the dictum laid down in Baldev Singh's case (supra). Needless to add that the question whether or not the procedure prescribed has been followed and the requirement of Section 50 had been met, is a matter of trial. It would neither be possible nor feasible to lay down any absolute formula in that behalf. We also feel that though Section 50 gives an option to the empowered officer to take such person (suspect) either before the nearest gazetted officer or the Magistrate but in order to impart authenticity, transparency and creditworthiness to the entire proceedings, in the first instance, an endeavour should be to produce the suspect before the nearest Magistrate, who enjoys more confidence of (1974) 2 SCC 33 the common man compared to any other officer. It would not only add legitimacy to the search proceedings, it may verily strengthen the prosecution as well.

42– उक्त न्यायिक दृष्टांत के मुताबिक इस कार्यवाही में या इस प्रकरण में जब्ती अधिकारी द्वारा धारा 50 अधिनियम की कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे भी समस्त कार्यवाही दूषित हो जाती है।

43– इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मानीय **न्यायिक दृष्टांत संजीव व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश 2022 लाईव लॉ एससी 267** के मुताबिक अधिनियम की धारा 50 की पालना नहीं करना अभियुक्त की दोषुमुक्ति का आधार है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी पूर्ववर्ती न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया है। सम्मानीय **न्यायिक दृष्टांत हनीफ खान उर्फ अन्नू खान बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स 2019(4) सीजे(क्रि.) (एससी) 1219** के मुताबिक इस अधिनियम के तहत जो धाराएं अभियुक्त के खिलाफ आरोपित की जाती है, उससे अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए बच नहीं सकता। इसके अलावा धारा 50 अधिनियम के बारे में सम्मानीय **न्यायिक दृष्टांत आरिफ खान व अघा खान बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2018(2) आरसीसी (एससी) 784** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त जडेजा वाले पांच जजेज के न्यायिक दृष्टांत का हवाला देते हुए अधिनियम की धारा 50 की व्याख्या की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मानीय **न्यायिक दृष्टांत नारकोटिक्स सेन्ट्रल ब्यूरो बनाम सुखदेव राज सोधी 2011 आरसीसी (एससी) 683** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि धारा 50 अधिनियम के तहत राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी करवाये जाने के अभियुक्त के अधिकार के बारे में उसको सूचना देने से ही पूरी नहीं होती है बल्कि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को मौंके पर वास्तव में लाया जाना चाहिए और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषमुक्ति का आधार बनाया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सम्मानीय **न्यायिक दृष्टांत एस.बी. क्रिमीनल अपील संख्या 540/2008 दिनांकः 02.08.2016** में भी जडेजा वाले मामलें का हवाला देते हुए संबंधित डी.एस.पी. द्वारा मौके पर उपस्थित होते हुए भी विचारण में परीक्षित नहीं होने के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जब तक अभियोजन पक्ष

मामले को संदेह से परे साबित नहीं कर दे, तब तक अभियुक्त को निर्दोषी माना जाएगा।

44– **धारा 50 एनडीपीएस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि धारा 50 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 के अनुसार जब किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी ली जानी हो, तब उस व्यक्ति को यह अवगत कराना अनिवार्य है कि वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिलवाने का अधिकार रखता है। यदि संबंधित व्यक्ति ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, तो अधिकारी का यह वैधानिक दायित्व है कि उसे बिना अनावश्यक विलंब के राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर विधिसम्मत तलाशी कार्यवाही कराई जाये। उक्त प्रावधान का उद्देश्य तलाशी प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है तथा यह प्रावधान अनिवार्य प्रकृति का माना गया है।** उक्त प्रावधान के आलोक में पत्रावली पर आयी साक्ष्य व दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन यह भी सिद्ध करने में असफल रहा है कि धारा 50 का नोटिस वास्तविक रूप से अभियुक्त को प्रदान किया गया था। जबकि अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि नोटिस प्रदर्शपी 3 पर अभियुक्त का कोई लिखित जवाब अंकित नहीं है तथा प्रकरण में अभियुक्त को प्रदर्शपी 3 देना बताया गया है, वह एक प्रति में ही पत्रावली में मौजूद है, उसकी दूसरी प्रति जो अभियुक्त को दी गई या यही प्रदर्शपी 3 अभियुक्त को दी गई, यह भी अभियोजन पक्ष ने साबित नहीं किया है। इसके अलावा हस्तगत प्रकरण में जो धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस देने वाला जब्ती अधिकारी राजपालसिंह न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है और प्रकरण में दर्ज हुई रिपोर्ट एवं चाक एफआईआर भी प्रदर्शित नहीं हुई है तथा प्रकरण में सर्वप्रथम अभियुक्त से देशी कटटा जब्त करना बताया गया है तथा उसके पश्चात सारी कार्यवाही करना बताया गया है, इसलिए भी यह कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

45– प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.ड. 1 दिलीपसिंह कानि. का यह कहना है कि यह सही है कि हमने वाहन को रोकते ही मुलजिम के वाहन की तलाशी कर ली थी और इसके पश्चात ही समस्त कार्यवाही की गई। गवाह पी.ड. 6 कमलसिंह कानि.

ने यह स्वीकार किया है कि गाडी को रूकवाते ही गाडी में रखे डोडा पोस्त व हथियार को अपनी कस्टडी में ले लिया था। पी.ड. 7 सुरज्ञानसिंह कानि., पी.ड. 8 ईश्वरसिंह कानि. व पी.ड. 9 सुरेशचंद कानि. ने यह कथन किया है कि गाडी का रोकते ही गाडी में रखे डोडा पोस्त व हथियार को अपनी कस्टडी में ले लिया था। इस तरह से जो महत्वपूर्ण गवाह हैं, उन सभी का यह कहना है कि तलाशी से पूर्व ही परिवादी राजपाल सिंह के द्वारा माल व कटटा अपनी कस्टडी में ले लिया गया था। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से **प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत डोनियर विल्डनोव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एससी एसएलपी 9460/2025 30 जनवरी 2026** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त की जब्ती की कार्यवाही से पहले ही धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट की स्वीकृति से पहले ही उसका बैग पुलिस द्वारा कब्जे में लिया जा चुका था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह कहना है कि तलाशी व जब्ती को अनिवार्य प्रावधान के अनुरूप नहीं होना पाया गया है, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए मामले का आधार ही ध्वस्त हो जाता है। हस्तगत प्रकरण में जब्ती अधिकारी के बयान नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में उक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप अभियुक्त को लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इसके अलावा प्रकरण में जो इलैक्ट्रानिक कांटा बरामद करना बताया गया है, यह कांटा कौन सी कम्पनी का था, इस संबंध में मौके के किसी भी गवाह ने नहीं बताया है और परिवादी राजपाल के द्वारा समस्त कार्यवाही साबित नहीं की गई है क्योंकि परिवादी राजपाल न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में धारा 50 अधिनियम की समस्त कार्यवाही दूषित हो जाती है। इस प्रकार प्रकरण में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है।

46– उपरोक्त विवेचन से अभियुक्त खुशीराम के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के संबंध में प्रकरण में धारा 42(2) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की गई है और धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों की अनुपालना भी नहीं की गई है। इसलिए अभियुक्त खुशीराम के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 8/15 स्वापक औषधि

एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के संबंध में अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है।

47– प्रकरण में अभियुक्त खुशीराम के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति का गवाह पी.ड. 16 मनीष शर्मा परीक्षित हुआ है, जो कि कार्यालय जिला कलेक्टर दौसा का वरिष्ठ सहायक है, जिसने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसके द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है, उसके द्वारा केलव स्वीकृति का आदेश बनाकर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था और इस गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियोजन स्वीकृति प्रदर्शपी 19 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह पी.ड. 16 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई है। प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाह पुलिसकर्मी हैं, जिनमें गवाह पी.ड. 11 उम्मेदसिंह आरमोरर है, जिसने अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने इस कटटे को लोड करके व फायर करके नहीं देखा, केवल खाली चैक किया था। ऐसी स्थिति में अन्य पुलिसकर्मियों की साक्ष्य एक औपचारिक साक्ष्य की प्रकृति की रह जाती है। अभियोजन स्वीकृति कलेक्टर के द्वारा जारी की गई थी, जो कि न्यायालय में सिद्ध नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य में गम्भीर प्रकृति का विरोधाभास जाहिर आया है। इसलिए अभियुक्त खुशीराम के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के संबंध में भी अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है।

48– उपरोक्त विवेचन से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त खुशीराम के विरूद्ध अपराध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 व 3/25 आयुध अधिनियम 1959 का आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है।

49– अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण से अभियुक्त खुशीराम को आरोपित अपराध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 व 3/25 आयुध अधिनियम 1959 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

50– परिणामस्वरूप अभियुक्त खुशीराम पुत्र रामकिशन निवासी माधोगढ पुलिस थाना मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान को आरोपित अपराध रा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 व 3/25 आयुध अधिनियम 1959 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

51– अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

52– अभियुक्त धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत छः माह के लिये बीस–बीस हजार रूपये के जमानत–मुचलके पेश कर तस्दीक करावे।

53– प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ के संबंध में वर्ष 2022 में बनाये गए नियम एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल 2016(3) एससीसी 379 के मुताबिक बाद गुजरने मियाद अपील, पुनरीक्षण नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

54– प्रकरण में जब्तशुदा एक देशी कटटा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बाद गुजरने मियाद अपील, पुनरीक्षण नियमानुसार जिला शस्त्रागार में नियमानुसार जमा करावें।

(अनामिका सारण)
विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण
(अपर सेशन न्यायाधीश)
सिकराय, जिला दौसा

55– यह निर्णय व आदेश आज दिनांकः 07.03.2026 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनामिका सारण)
विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण
(अपर सेशन न्यायाधीश)
सिकराय, जिला दौसा